न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आर0ए0एस0)

अपील संख्या– 2021/132

1. सूरजमल आत्मज श्री खेमचन्द जी लाति लश्करी निवासी ग्राम नया नोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0।
2. रामस्वरूप आत्मज श्री खेमचन्द जी लाति लश्करी निवासी ग्राम नया नोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0।
3. बलराम आत्मज श्री खेमचन्द जी लाति लश्करी निवासी ग्राम नया नोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0।

– अपीलांटगण

बनाम

1. कन्हैयालाल गोलीवार उर्फ नुन्नू बाबू गोलीवार गया गुरू पुत्र स्वर्गीय पन्नालाल गोलीवार गया गुरू निवासी गंधी जी पुल कैथूनीपोल कोटा जिला कोटा राजस्थान–हाल मुकाम मोहल्ला चांद चौरा मोर्चा गली दौनापुर पोस्ट चांद चौरा थाना विष्णु पद जिला गया बिहार जरिये मुख्तार आम सुरेश गोस्वामी आत्मज श्री प्रेमनारायण गोस्वामी निवासी मोहल्ला सुभाष कोलोनी किशोरपुरा कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान मृतक कायम मुकामान–

1/1. रामलाल गोलीवार पुत्र स्व. कन्हैयालाल गोलीवार उर्फ नुन्नुबाबू गोलीवार हाल मुकाम मोहल्ला चांद चौरा मोर्चा गली, दौनापुर पोस्ट चांद चौरा थाना विष्णुपद जिला गया(बिहार)।

1/2. जानकी देवी पत्नी स्व. कन्हैयालाल गोलीवार उर्फ नुन्नुबाबू गोलीवार हाल मुकाम मोहल्ला चांद चौरा मोर्चा गली, दौनापुर पोस्ट चांद चौरा थाना विष्णुपद जिला गया(बिहार)।

1/3. कुसुम देवी पुत्री स्व. कन्हैयालाल गोलीवार उर्फ नुन्नुबाबू गोलीवार हाल मुकाम मोहल्ला चांद चौरा मोर्चा गली, दौनापुर पोस्ट चांद चौरा थाना विष्णुपद जिला गया(बिहार)।

1/4. पिंकी देवी पुत्री स्व. कन्हैयालाल गोलीवार उर्फ नुन्नुबाबू गोलीवार हाल मुकाम मोहल्ला चांद चौरा मोर्चा गली, दौनापुर पोस्ट चांद चौरा थाना विष्णुपद जिला गया(बिहार)।

1/5. जुली देवी पुत्री स्व. कन्हैयालाल गोलीवार उर्फ नुन्नुबाबू गोलीवार हाल मुकाम मोहल्ला चांद चौरा मोर्चा गली, दौनापुर पोस्ट चांद चौरा थाना विष्णुपद जिला गया(बिहार)।

2. जमना बाई पत्नी रामलाल जाति लश्करी निवासी मकान नम्बर–579, सेक्टर–7, केशवपुरा कोटा(राज0)।
3. लाड कंवर पुत्री रामलाल पत्नी राधेश्याम जाति लश्करी निवासी ग्राम नयानोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
4. मोहनी बाई पुत्री रामलाल जाति लश्करी निवासी ग्राम नयानोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
5. रामनाथी बाई पत्नी रामलाल जाति लश्करी निवासी ग्राम नयानोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
6. चेतन प्रकाश पुत्र रामलाल जाति लश्करी निवासी ग्राम नयानोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
7. श्याम बाई पुत्री रामलाल जाति लश्करी निवासी ग्राम नयानोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
8. दी स्टेट आफ राज0 जर्ये तहसीलदार लाडपुरा, जिला कोटा(राज0)।
9. तरूण चतुर्वेदी पुत्र दिलीप कुमार चतुर्वेदी जाति ब्राहम्ण निवासी गौरी निवास, संगम होटल की गली, गुमानपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा(राज0)।
10. महेश दत्त भारद्वाज पुत्र श्री श्यामलाल जाति ब्राहम्ण निवासी 4–बी, जवाहर नगर, कोटा राज0।

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस–(1). श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी– अधिवक्ता अपीलांट
(2). श्री नरेन्द्र गुप्ता– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/5
(3). श्री रविन्द्र खण्डेलवाल–अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4
(4). श्री चन्द्रप्रकाश खण्डेलवाल– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 5 से 7
(5). श्री संजय पाटोदी– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 9
(6). श्री विद्याशकंर गोस्वामी–अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 9, 10

अपील संख्या– 2021/133(नवीन नं. 2022/274)

1. महेश गुप्ता आत्मज श्री रमेशचन्द जाति महाजन निवासी साबरमती कोलोनी कोटा, राज0।

2. नरेश गुप्ता आत्मज श्री रमेशचन्द जाति महाजन निवासी साबरमती कोलोनी कोटा, राज0।
3. परमानन्द बोहरा आत्मज बजरंगलाल जाति लश्करी निवासी ग्राम नयानोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0।

– अपीलांटगण

बनाम

1. मृतक कन्हैयालाल गोलीवार उर्फ नुन्नू बाबू जर्ये कायम मुकामान–
   1/1. रामलाल गोलीबार आत्मज स्व. कन्हैयालाल गोलीवार हाल मुकाम मोहल्ला चांद चौरा मोर्चा गली, दौनापुर पोस्ट चांद चौरा थाना विष्णुपद जिला गया(बिहार)।
   1/2. जानकी देवी पत्नी स्व. कन्हैयालाल गोलीवार हाल मुकाम मोहल्ला चांद चौरा मोर्चा गली, दौनापुर पोस्ट चांद चौरा थाना विष्णुपद जिला गया(बिहार)।
   1/3. कुसुम देवी आत्मजा स्व. कन्हैयालाल गोलीवार हाल मुकाम मोहल्ला चांद चौरा मोर्चा गली, दौनापुर पोस्ट चांद चौरा थाना विष्णुपद जिला गया(बिहार)।
   1/4. पिंकी देवी आत्मजा स्व. कन्हैयालाल गोलीवार हाल मुकाम मोहल्ला चांद चौरा मोर्चा गली, दौनापुर पोस्ट चांद चौरा थाना विष्णुपद जिला गया(बिहार)।
   1/5. जुली देवी आत्मजा स्व. कन्हैयालाल गोलीवार हाल मुकाम मोहल्ला चांद चौरा मोर्चा गली, दौनापुर पोस्ट चांद चौरा थाना विष्णुपद जिला गया(बिहार)।
2. लाड कंवर पुत्री रामलाल पत्नी राधेश्याम जाति लश्करी निवासी ग्राम नयानोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
3. जमना बाई पत्नी रामलाल जाति लश्करी निवासी मकान नम्बर–579, सेक्टर–7, केशवपुरा कोटा(राज0)।
4. मोहनी बाई पुत्री रामलाल जाति लश्करी निवासी ग्राम नयानोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
5. रामनाथी बाई पत्नी रामलाल जाति लश्करी निवासी ग्राम नयानोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
6. चेतन प्रकाश पुत्र रामलाल जाति लश्करी निवासी ग्राम नयानोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
7. श्याम बाई पुत्री रामलाल जाति लश्करी निवासी ग्राम नयानोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
8. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा, जिला कोटा(राज0)।
9. तरूण चतुर्वेदी पुत्र दिलीप कुमार चतुर्वेदी जाति ब्राहम्ण निवासी गौरी निवास, संगम होटल की गली, गुमानपुरा, तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।
10. महेश दत्त भारद्वाज पुत्र श्री श्यामलाल जाति ब्राहम्ण निवासी 4–बी, जवाहर नगर, कोटा राज0।

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस–(1). श्री बृजमोहन मालव– अधिवक्ता अपीलांट
(2). श्री नरेन्द्र गुप्ता– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/5
(3). श्री रविन्द्र खण्डेलवाल–अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 4
(4). श्री संजय पाटोदी– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 9
(5). श्री विद्याशकंर गोस्वामी–अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 9, 10

निर्णय **दिनांक 26.07.2023**

1. अपीलांटगण द्वारा उक्त दोनो अपीलें अपील संख्या 2021/132 तथा अपील संख्या 2021/133(नवीन नम्बर 2022/274) अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा, जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 29/दावा/2021 मे पारित निर्णय व डिकी दिनांक 20.04.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. उक्त दोनो अपीलें {अपील संख्या 2021/132 तथा अपील संख्या 2021/133(नवीन नम्बर 2022/274)} एक ही निर्णय एवं डिकी दिनांक 20.04.2021 के विरूद्ध होने से तथा वादग्रस्त एक ही आराजी से संबंधित होने से उक्त दोनो अपीलों में उभयपक्षकारान के अधिक्तागण की एक–साथ बहस सुनी जाकर एक–साथ निर्णित की जा रही है। निर्णय की एक–एक प्रति उक्त दोनो अपीलों के साथ संलग्न की जावे।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम बोरखण्डी तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नं. 44 की 24 बीघा 9 बिस्वा भूमि एंवम खसरा नम्बर 135 की 5 बीघा 1 बिस्वा भूमि जुमला 2 किता की 29 बीघा 10 बिस्वा आराजी स्थित थी। उपरोक्त आराजी में से खसरा नम्बर 44 की 24 बीघा 9 बिस्वा आराजी वाद विषयक विवादित आराजीयात है। राजस्व अभिलेख में उपरोक्त भूमि माफी पून्यार्थ गया गुरु बकब्जा मोतीलाल बेटा रामलाल जाति ब्राहमण निवासी गन्धी जी की पुल कोटा अंकित थी। उपरोक्त भूमि पर मोतीलाल जी बहैसियत माफीदार काबिज थे अर्थात् उपरोक्त भूमि मोतीलाल जी के खुद काश्त में थी। मोतीलाल जी के स्वर्गवास होने पर नामान्तरकरण सं0 265 दिनांक 29–9–1939 के जरिये उपरोक्त भूमि राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में माफी पून्यार्थ जागीर बकब्जा पन्नालाल वल्द मोतीलाल जाति ब्राहमण निवासी गन्धी जी की पूल कोटा दर्ज की गयी थी । पन्नालाल जी के पिता श्री मोतीलाल जी थे। वादी के पिता श्री पन्ना लाल जी आत्मज मोती लाल जी उपरोक्त भूमि पर बहैसियत माफीदार काबिज थे। वक्त रिजम्पशन माफी

पून्यार्थ की उपरोक्त भूमि पर वादी के पिता पन्ना लाल जी बहैसियत माफीदार काबिज थे । उपरोक्त भूमि वक्त रिजम्पशन माफी एवं राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 के प्रभावशील होने के समय वादी के पिता श्री पन्नालाल आत्मज मोतीलाल जी के खुदकाश्त में होने से वे कानूनन उपरोक्त भूमि के खातेदार टीनेन्ट हो गये थे। राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में भी पन्नालाल जी का नाम बहैसियत खातेदार टीनेन्ट दर्ज हो गया था । कानून के अनुसार भी पन्नालाल जी का नाम बहैसियत खातेदार टीनेन्ट दर्ज किया जाना चाहिये था। वादी के पिता श्री पन्ना लाल जी की मृत्यु हो जाने से वादी, पन्ना लाल जी की एक मात्र संतान, पुत्र एवं उत्तराधिकारी होने से कानूनन उपरोक्त भूमि का खातेदार टीनेन्ट हो गया था । उपरोक्त भूमि पर वादी बहैसियत खातेदार टीनेन्ट काबिज हो गया था। सेटलमेन्ट सम्वत् 2016 लगायत 2024 में उपरोक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 30 रकबा 24 बीघा 9 बिस्वा कायम हुआ है। भूप्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त भूमि पूर्ववत वादी के पिता श्री पन्नालाल जी के खाते दर्ज की जानी चाहिए थी। सम्वत् 2016 के लगभग हुये सेटलमेन्ट में प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 6 के पूर्वज नारायण आत्मज मोती जाति लश्करी निवासी ग्राम नया नोहरा तहसील लाड़पुरा जिला कोटा ने भूप्रबंध विभाग के कर्मचारियों से मिलकर उपरोक्त भूमि सर्वथा गैर कानूनी एवं अनाधिकृत रूप से अपने खाते दर्ज करवाली। भूप्रबंध विभाग के कर्मचारियों को पूर्व इन्द्राजात को यथावत कायम रखना चाहिये था। उक्त अवैध, सर्वथा गैर कानूनी एवं त्रुटि पूर्ण इन्द्राजात से नारायण आत्मज मोती लश्करी का कोई हक हकूक प्राप्त नहीं होते है। उक्त इन्द्राजात वादी के पिता श्री पन्नालाल जी एवं उनकी मृत्यु हो जाने से उनकी एक मात्र संतान पुत्र एवं उत्तराधिकारी होने से वादी के हितों के विरूद्ध बेअसर है। सम्वत् 2038 के लगभग हुये सेटलमेन्ट में उपरोक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 18 रकबा 3.96 हेक्टर कायम हुआ है। भूप्रबंध विभाग के कर्मचारियों ने सर्वथा गैर कानूनी व अनाधिकृत रूप से सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना ही उपरोक्त भूमि सूरजमल, रामस्वरूप, बलराम, पिसरान खेम चन्द नाबालिग वली सूरजमल जाति लश्करी निवासी ग्राम नया नोहरा तहसील लाड़पुरा जिला कोटा के खाते दर्ज कर दी। यहां यह उल्लेखनीय है कि नारायण आत्मज मोती लश्करी के दो पुत्र खेम चन्द एवं राम लाल थे। परन्तु उपरोक्त भूमि सर्वथा गैर कानूनी रूप से सूरजमल, रामस्वरूप, बलराम पिसरान खेम चन्द नाबालिग वली सूरजमल के खाते दर्ज की गयी थी। उक्त इन्द्राजात सर्वथा अवैध, त्रुटि पूर्ण अधिकार विहिन एवं मनमाना है जिससे उक्त व्यक्तियों को कोई हक हकूक प्राप्त नहीं होते है। उक्त इन्द्राजात वादी के हितों के विरूद्ध बेअसर है। वर्तमान में राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में उपरोक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 18 दिशा दक्षिण रकबा 3.40 हेक्टर प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 3 क्रमशः श्रीमती जमना बाई बेवा रामलाल, लाडकंवर पुत्री रामलाल, मोहनी बाई पुत्री रामलाल जाति लश्करी निवासीगण ग्राम नया नोहरा हिस्सा बराबर दर्ज है तथा खसरा नम्बर 18/1 उत्तर रकबा 0.56 हेक्टर प्रतिवादी गण नम्बर 4 लगायत 6 क्रमशः श्रीमती रामनाथी बेवा रामलाल, चेतन प्रकाश पुत्र रामलाल, श्याम बाई पुत्री रामलाल जाति लश्करी निवासी नया नोहरा हिस्सा बराबर दर्ज है। उक्त इन्द्राजात सर्वथा अवैध एवं त्रुटि पूर्ण है तथा

वादी के हितों के विरूद्ध बेअसर है। उक्त गैर कानूनी एवं त्रुटि पूर्ण इन्द्राजात से प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 6 को कोई हक हकूक प्राप्त नहीं होते है। वादी के पिता श्री पन्ना लाल जी एवं उनकी मृत्यु के बाद वादी उपरोक्त भूमि को स्वयं काश्त करते थे। वादी की वृद्धावस्था हो जाने के कारण बाद में वादी ने उपरोक्त भूमि को विभिन्न व्यक्तियों नारायण वगैरह एवं उसके वारिसान प्रतिवादीगण नं० 1 लगायत 6 से पांती पर एवं मुनाफे पर काश्त करवाया था। वादी को प्रति वर्ष उसके हिस्से की फसल एवं मुनाफे की राशि प्राप्त होती रही है। प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 6 उपरोक्त भूमि पर वादी की अनुमति से काबिज रहे है। वादी ने दिनांक 20–4–2018 को प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 6 से उपरोक्त भूमि भविष्य में काश्त नहीं करने एंव भूमि का कब्जा वादी को सम्भलाने के लिये कहा तो प्रतिवादीगण इन्कार हो गये तथा प्रतिवादीगण ने वादी से कहा कि वे उपरोक्त भूमि का फसल का हिस्सा एवं भूमि का कब्जा वादी का नहीं देगें क्योंकि उपरोक्त भूमि हम प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 6 के खाते दर्ज हो चुकी है। वादी 84 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है । वादी द्वारा कोटा आकर उपरोक्त भूमि की देखभाल करना एवं काश्त करना सम्भव नहीं है इस कारण वादी ने अपनी और से उपरोक्त भूमि की काश्त की व्यवस्था करने, उपरोक्त भूमि अपने खाते दर्ज कराने, एंव उक्त भूमि पर कब्जा प्राप्त करने के लिये दावा करने, कानूनी कार्यवाही करने के लिये दिनांक 3–5–2019 को सुरेश गोस्वामी आत्मज प्रेम नारायण जी गोस्वामी जाति गोस्वामी निवासी मोहल्ला सुभाष कोलोनी, किशोरपुरा कोटा तहसील लाड़पुरा जिला कोटा को अपना मुख्तार आम नियुक्त कर वादी की और से कानूनी कार्यवाही करने के लिये उसके पक्ष में मुख्तार नामा आम निष्पादित कर नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवा दिया था । दिनांक 6–5–2019 को वादी के मुख्तार आम सुरेश गोस्वामी ने प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 6 से उपरोक्त भूमि वादी के खाते दर्ज करवाने तथा उपरोक्त भूमि का कब्जा वादी को सम्भलाने के लिये कहा तो प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 6 इन्कार हो गये तथा शीघ्र ही उपरोक्त भूमि की प्लानिंग कर, उपरोक्त भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ भूखण्डों में विभक्त कर, बैचान करने तथा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करने की वादी के मुख्तार आम को धमकी दी। अतः वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध हक घोषणा खातेदारी. इन्द्राज दुरूस्ती, बैदखली आराजी एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत कर डिक्री प्राप्त करना व दौराने दावा उनके विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करना आवश्यक हो गया है। दी स्टेट ऑफ राजस्थान लेण्ड होल्डर होने से आवश्यक पक्षकार है जिसे इस वाद में बतौर प्रतिवादी नं0 7 पक्षकार बनाया गया है । वादी द्वारा प्रस्तुत यह दावा आवश्यक प्रकृति का है एवं त्वरित अनुतोष से सम्बन्धित है क्योंकि प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 6 उपरोक्त भूमि बेचान करने, अन्य प्रकार से अन्तरित करने पर आमादा है। ऐसी स्थिती में दावा प्रस्तुत करने से पूर्व प्रतिवादी नं0 7 राजस्थान सकार के प्रतिनिधि श्रीमान जिला कलेक्टर साहब कोटा को धारा 80 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दो माह का नोटिस दिये जाने की सूरत में वादी द्वारा दावा पेश करने का उद्देश्य ही विफल हो जावेगा ऐसी स्थिती में प्रतिवादी नं0 7 के प्रतिनिधि श्रीमान जिला कलेक्टर साहब का दो माह का नोटिस दिये बिना ही यह

दावा प्रस्तुत है । उक्त नोटिस से छूट प्रदान किय जाने हेतु धारा 80 (2) व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत नोटिस की छूट हेतु पृथक से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। अतः प्रतिवादी नं0 7 को धारा 80 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत उक्त नोटिस दिये बिना ही वादी को दावा प्रस्तुत करने की इजाजत फरमायी जाये । वादी को यह दावा प्रस्तुत करने का वाद कारण प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 6 के पूर्वज नारायण आत्मज मोती लश्करी द्वारा भूप्रबंध विभाग के कर्मचारियों से मिल कर गैर कानूनी एंव अनाधिकृत रूप से उपरोक्त भूमि अपने खाते दर्ज करवाने पर, एंव उसके पश्चात् उपरोक्त भूमि सर्वथा गैर कानूनी रूप से सूरजमल, रामस्वरूप बलराम पिसरान खेम चन्द नाबालिग वली सूरजमल के खाते दर्ज होने पर, एंव बाद में उपरोक्त भूमि में से नये खसरा नम्बर 18 की दिशा दक्षिण रकबा 3–40 हेक्टर भूमि प्रतिवादी नं० 1 लगायत 3 के खाते दर्ज होने पर एंव खसरा नम्बर 18/1 की उत्तर दिशा की 0–56 हेक्टर भूमि प्रतिवादी नं0 4 लगायत 6 का हिस्सा राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में बराबर दर्ज करवाने पर दिनांक 20–4–2018 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 6 से उपरोक्त भूमि का कब्जा वादी को सम्भलाने बाबत कहने पर तथा प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 6 द्वारा इन्कार हो जाने पर तथा यह कहने पर कि वे उपरोक्त भूमि में फसल का हिस्सा एवं भूमि का कब्जा वादी को नहीं देगें क्योंकि भूमि प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज है एवं अन्तिम दिनांक 6–5–2019 को वादी मुख्तार आम द्वारा प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 6 उपरोक्त भूमि वादी खाते दर्ज कराने बाबत कहने एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 6 द्वारा इन्कार हो जाने पर एवं उपरोक्त भूमि की प्लानिंग कर उपरोक्त भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ भूखण्डों में विभक्त कर, बैचान कर तथा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करने की वादी के मुख्तारआम को धमकी देने पर उत्पन्न हुआ। वाद विषयक आराजीयात माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र ग्राम बोरखण्डी तहसील लाड़पुरा जिला कोटा में स्थित है अतः सम्माननीय न्यायालय को प्रस्तुत वाद में श्रवणाधिकार प्राप्त है। अन्त में ग्राम बोरखण्डी तहसील लाड़पुरा जिला कोटा की नये खसरा नम्बर 18 की दक्षिण दिशा की 3.40 हेक्टेयर भूमि एवम् खसरा नम्बर 18/1 उत्तर दिशा की 0–56 हेक्टर भूमि जुमला 2 किता की 3.96 हेक्टर भूमि का वादी को खातेदार टीनेन्ट घोषित फरमाया जाकर तदनुसार राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में अमल दरामद किये जाने तथा प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 6 का नाम राजस्व अभिलेख जमाबन्दी से विलोपित किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित किये जाने का निवेदन किया । साथ ही प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 6 को उपरोक्त भूमि से बेदखल किया जाकर वादी को मोके पर कब्जा सम्भलाया जाने का निवेदन किया। वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ उपरोक्त आराजी के बाबत एक स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की प्रसारित की जावे कि प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 6 उपरोक्त आराजी ग्राम बोरखण्डी तहसील लाडपुरा जिला कोटा की नये खसरा नम्बर 18 की दक्षिण दिशा की 3.40 हेक्टर भूमि एवम् खसरा नम्बर 18/1 की उत्तर दिशा की 0–56 हेक्टर भूमि जुमला 2 किता की 3–96 हेक्टेयर भूमि में प्लानिंग कर उपरोक्त भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ भूखण्डों में विभक्त कर बेचान नहीं करे, तथा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करे। कृषि भूमि को अकृषि

प्रयोजनार्थ काम में नहीं लेवे । वादी को उपरोक्त भूमि पर कब्जा प्राप्त होने के उपरान्त प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 6 वादी के शांति पूर्ण कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करे। उक्त कृत्य न तो स्वंय करे ओर न अपने प्रतिनिधि द्वारा ही करावे । अन्त में अन्य न्यायोचित सहायता हो तो वह भी वादी को प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

4. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 से 6 की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. व धारा 151 जा.दी. प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 से 6 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. व धारा 151 जा.दी का जवाब प्रार्थना–पत्र वादी की ओर से प्रस्तुत किया गया। एक अन्य प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का जवाब प्रार्थना–पत्र वादी की ओर से प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना–पत्र पर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा. दी. व धारा 151 जा.दी. को नोट प्रेस किये जाने बाबत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। इसी संबंध मे प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के अधिवक्ता की ओर से आपत्ति प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जाकर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 का गुणावगुण पर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। उक्त आपत्ति प्रार्थना–पत्र पर प्रतिवादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से दो अलग–अलग जवाब प्रार्थना–पत्र मय विशेष आपत्तियॉ प्रस्तुत की जाकर उक्त आपत्ति प्रार्थना–पत्र को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 4 से 6 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. व धारा 151 जा.दी. को नोट प्रेस किये जाने बाबत प्रार्थना–पत्र प्रतिवादीगण संख्या 4 से 6 की ओर से प्रस्तुत किया गया। प्रार्थीया जमनाबाई द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रार्थना–पत्र वास्ते नया जवाबदावा रिकॉर्ड पर लिए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की ओर से इकबाली जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 4 से 6 की ओर से इकबाली जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। वाद के विचाराधीन रहते हुए अपीलांटगण प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जा.दी. प्रस्तुत किया गया। अपीलांटगण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जा.दी. का पृथक–पृथक जवाब प्रार्थना–पत्र वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से प्रस्तुत किये गए। अपीलांटगण प्रार्थीगण , वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जा. दी. पर पृथक लिखित बहस पेश की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान की बहस सुनी जाकर पत्रावली वास्ते निर्णय प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जा.दी.

नियत की गई, जिसके लिए आगामी तारीख पेशी दिनांक 11.12.2020 नियत की गई। पत्रावली वास्ते निर्णय प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जा.दी. विचाराधीन थी परन्तु आदेशिका दिनांक 11.12.2020 पर निर्णय नहीं सुनाया जा सका। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 31.03.2021 के अनुसार माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला बून्दी को प्रकरण स्थानान्तरित किये जाने के आदेश होने से पत्रावली उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा को प्रेषित की गई। आदेशिका दिनांक 31.03.2022 अनुसार ही न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा द्वारा पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। उभय पक्षकारान की बहस प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. पर सुनी जाकर दिनांक 19.04.2021 को अपीलांटगण प्रार्थीगण महेश गुप्ता, नरेश गुप्ता व परमानन्द बोहरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 व धारा 151 सी.पी.सी. खारिज किया गया । दिनांक 19.04.2021 को ही राजीनामा तस्दीक कर पत्रावली वास्ते आदेश अगले दिन दिनांक 20.04.2021 को नियत की गई। दिनांक 20.04.2021 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला बून्दी द्वारा वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी को कृषि भूमि खसरा नम्बर 18 रकबा 3.40 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 18/1 रकबा 0.56 हैक्टेयर वाके ग्राम बोरखंडी तहसील लाडपुरा का खातेदार घोषित किये जाने की निर्णय व डिकी पारित की।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 20.04.2021 से असंतुष्ट होकर अपीलांटगण ने दो अलग–अलग अपीलें न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत की है। दोनों अपीलों मे अपीलांटगण की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. प्रस्तुत किए है। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया । अपील के विचाराधीन रहते हुए न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत दोनो अपीलों मे प्रार्थी तरूण चतुर्वेदी द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 व आदेश 41 नियम 20 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया गया। उभयपक्षकारान की बहस सुनकर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 05.04.2023 को अपील संख्या 2022/274 तथा दिनांक 19.04.2023 को अपील संख्या 2021/132 में प्रार्थी तरूण चतुर्वेदी को पक्षकार बनाये जाने का आदेश जारी किया गया। इसी प्रकार न्यायालय हाजा में दोनो अपीलों में दिनांक 12.06.2023 को प्रार्थी महेशदत्त भारद्वाज ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 का प्रस्तुत किया तथा दोनो अपीलों मे प्रार्थी महेशदत्त भारद्वाज को दिनांक 16.06.2023 को पक्षकार बनाने का आदेश जारी किया गया। अपील संख्या 2021/132 में रेस्पोडेन्टगण संख्या 1/1 से 1/5, 3 से 7, 9 व 10 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 8 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अपील संख्या 2021/133 मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/5, 2, 4, 9 व 10 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 8 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए व शेष रेस्पोडेन्ट

बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। दिनांक 08.03.2022 को अपील संख्या 2021/133 एवं अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली संख्या 29/2021 माननीय राजस्व मण्डल द्वारा तलब किये जाने पर दिनांक 10.03.2022 को न्यायालय हाजा से माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को दोनो पत्रावलीयां प्रेषित कर दी गई। माननीय राजस्व मण्डल से वापस प्राप्त होने पर उक्त दोनो पत्रावलियां दिनांक 30.11.2022 को न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर की गई अर्थात दिनांक 30.11.2022 तक प्रकरण में कार्यवाही पत्रावली(अपील संख्या 2021/133 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली संख्या 29/2021) के अभाव में लम्बित रही। अपील संख्या 2021/133 की पत्रावली पर माननीय राजस्व मण्डल से प्राप्त होने पर नवीन नम्बर 2022/274 कायम किये गए। उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण ने हस्तगत दोनो अपीलों में माननीय राजस्व मण्डल या अन्य अपीलीय न्यायालय में कोई निगरानी/स्थानान्तरण प्रार्थना–पत्र/हस्तगत अपीलों के विरूद्ध कोई अन्य अपील आदि लम्बित नहीं होने का कथन किया तथा दोनों प्रकरणों में न्यायालय हाजा में बहस सुनकर अंतिम रूप से निस्तारण हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 9 व 10 तथा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 (अपील संख्या 2022/274 में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 4) ने इस संबंध मे प्रार्थना–पत्र भी प्रस्तुत किये। माननीय राजस्व मण्डल से अपील संख्या 2021/133 तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली संख्या 29/2021 दिनांक 30.11.2022 को न्यायालय हाजा मे प्राप्त होकर दर्ज रजिस्टर की गई। न्यायालय हाजा में दिनांक 03.03.2023 को पक्षकारान की तामील प्रकिया पूरी हुई तथा इसके पश्चात दोनों मूल अपीलें बहस की स्टेज पर आ गई। इस संबंध मे जहां तक पूर्व में जारी न्यायालय हाजा के स्थगन आदेश दिनांक 28.07.2021 तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.10.2022 का प्रश्न है तो यह सामान्य समझ है कि जब मूल अपील का ही निस्तारण हो जायेगा तो स्थगन प्रार्थना–पत्र स्वतः ही निर्णित हो जायेगा तथा निर्णय की स्वतः ही पालना हो जाएगी। उभयपक्ष के निवेदन पर हमारे मत में भी दोनो हस्तगत अपीलों में एकसाथ बहस सुनी जाकर निर्णय पारित किया जाना उचित पाया गया।

6. अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत दोनों अपीलों (अपील संख्या 2021/132 व अपील संख्या 2021/133) में अपीलांटगण की ओर से पृथक–पृथक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–96 सी.पी.सी. प्रस्तुत किए गए है।

7. अपील संख्या 2021/132 में अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत धारा–96 सी.पी.सी. के प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया है कि उक्त अपील विषयक भूमि श्री नारायण जी की पंजीकृत वसीयत दिनांक 18.04.1984 के आधार पर अपीलांट के खाते दर्ज की गई थी, जिसे गलत तौर पर न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के आधार पर निरस्त कर भूमि प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 7 के खाते दर्ज कर दी थी। न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलांट ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेंर मे अपील पेश कर रखी है, जिसमे रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 8 पक्षकार है। उक्त अपील मे

पक्षकारान के हकूकों का अन्तिम तौर पर निस्तारण होना है तथा माननीय राजस्व मण्डल से भूमि के मौके एवं राजस्व अभिलेखों की यथास्थिति रखने का आदेश हो रहा है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री से अपीलांट के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पडेगा इसलिये अधीनस्थ न्यायालय मे निर्णय व डिक्री से एग्रीव्ड पक्षकार है। अन्त मे अपीलांटगण द्वारा स्वयं को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से एग्रीव्ड पक्षकार होना बताते हुए अपील पेश करने की अनुमति प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

8. अपीलांटगण की ओर से अपील संख्या 2021/132 मे प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–96 सी.पी.सी. का जवाब प्रार्थना–पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में गलत तथ्य अंकित किये गये है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा तथाकथित वसीयत के संबंध मे समुचित रूप से जांच किये बिना वसीयत प्रमाणित किये बिना ही अपील विषयक, वाद विषयक भूमि अपीलांट के खाते दर्ज की गई थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 7 के खाते उपरोक्त भूमि माननीय न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 07.06.2020 एवं उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 28.06.2010 के आधार पर दर्ज की गई थी। उक्त प्रकरण में वादी कन्हैयालाल पर काबिल पाबन्दी नहीं था। माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.06.2010 के विरूद्ध सूरजमल वगैरा द्वारा जमनाबाई वगैरा के विरूद्ध सूरजमल वगैरा द्वारा जमनाबाई वगैरा के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर मे द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई थी। उक्त अपील में दिनांक 29.06.2010 को सूरजमल वगै0 के वकील साहब की बहस सुनकर माननीय न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.06.2010 की पालना स्थगित फरमाई गई थी, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा भूमि की मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति का आदेश पारित नहीं किया गया था। कन्हैयालाल वादी द्वारा जमना बाई, रामनाथी वगैरह के विरूद्ध प्रस्तुत वाद में उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा काफी लम्बे समय पर धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनकर कोई आदेश पारित नहीं किया जा रहा था, इस कारण माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा धारा 221 सपठित धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत वादी कन्हैयालाल द्वारा मोहनी बाई, जमना बाई वगैरा के विरूद्ध उक्त प्रार्थना–पत्र निर्णित फरमाया जाकर दिनांक 17.01.2020 को निम्न आशय का आदेश पारित किया गया कि "परिणाम स्वरूप यह प्रार्थना–पत्र एडमिशन स्तर पर स्वीकार किया जाकर उपखण्ड अधिकारी कोटा को पुनः निर्देश दिये जाते है कि उनके समक्ष विचाराधीन प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम संख्या 45/2019 पर उभयपक्ष की बहस सुनकर दिनांक 27.01.2020 से आगामी दो माह के अन्दर आवश्यक रूप से विधि अनुसार निर्णय पारित करे तब तक पक्षकारान द्वारा विवादित आराजीयात के रिकॉर्ड व

मौके की यथास्थिति यथावत बनाई रखी जावे।" इसके बावजूद भी उपखण्ड अधिकारी कोटा के न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र निर्णित नहीं किया गया था। दिनांक 20.04.2021 को कन्हैयालाल बनाम जमना बई वगैरह का वाद निर्णत हो गया था। अतः धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की पत्रावली में कोई कार्यवाही होना अपेक्षित नहीं होने से उक्त प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.04.2021 को निर्णित खारिज कर दिया गया था। दिनांक 20.04.021 को दावा निर्णित हो जाने से रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति का आदेश स्वतः ही समाप्त हो गया था तथा प्रभावशील नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय मे कन्हैयालाल वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मे अपीलांटगण के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। उपरोक्त भूमि अपीलांटगण के खाते एवं कब्जे में नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपीलांटगण पर काबिल पाबन्दी नहीं है। वाद विषयक व अपील विषयक आराजीयात में अपीलांटगण का हित निहित नहीं है। अपीलांटगण निर्णय व डिक्री जेर अपील से व्यथित पक्षकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से अपीलांटगण के तथाकथित हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडा है। अपीलांटगण को अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 96 सी.पी.सी. खारिज किये जाने योग्य है।

9. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 5 से 7 ने अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में स्वयं अपीलांट द्वारा यह आलेखित किया गया है कि विवादित आराजी के मामले में अपीलांट ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे अपील पेश कर रखी है और माननीय राजस्व मण्डल से भूमि के मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति का आदेश हो रहा है, इस प्रकार अपीलांट के हक व अधिकार राजस्व मण्डल द्वारा ही तय किये जाने है। माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत अपील मे अपीलांट प्रभावित पक्षकार नहीं है। अन्त मे अपीलंटगण को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री से प्रभावित पक्षकार नहीं होना बताते हुए अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. खारिज किये जाने का निवेदन किया।

10. हमने अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 96 सी.पी.सी. व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व रेस्पोडेन्ट संख्या 5 से 7 के जवाब प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया। अपीलांट का कथन रहा है कि विवादित भूमि खातेदार नारायण द्वारा की ओर से आलेखित पंजीकृत वसीयत दिनांक 18.04.1984 के आधार पर अपीलांटगण के खाते मे दर्ज की गई है, जिसकी पुष्टि हेतु अपीलांटगण की ओर से पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 18.04.1984 की फोटोप्रति प्रस्तुत की गई है। यदि तर्क हेतु उक्त वसीयतनामें को सही नहीं माना जाए तब भी अपीलांटगण खातेदार नारायण के पौत्र होने से परिवार के सदस्य व वारिस की हैसियत से विवादित भूमि में हित होना प्रथम दृष्ट्या प्रतीत होता है। न्यायालय हाजा के आदेश

दिनांक 28.07.2021 में अंकित है कि नारायण की वसीयत को यदि एकबार नजरअंदाज किया जाए तो भी नारायण के पुत्र खेमा के वारिस होने के नाते अपीलांटगण परीक्षण न्यायालय मे वादी द्वारा पेश किए गए दावे मे आवश्यक पक्षकार थे, क्योंकि वादी का यही कथन है कि वादग्रस्त आराजी नारायण के खाते मे गलत दर्ज की गई है। इस प्रकार दिनांक 28.07.2021 के न्यायालय हाजा के आदेश द्वारा अपीलांटगण को आवश्यक एवं हितबद्ध पक्षकार मानते हुए धारा–96 सी.पी.सी. का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से अपीलांट प्रभावित पक्षकार है। उपर्युक्त विवेचन से अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–96 सी.पी. सी. स्वीकार किया गया।

11. अपील संख्या 2021/133 मे अपीलांट की ओर से प्रार्थना–पत्र धारा 96 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया कि ग्राम बोरखण्डी तहसील लाडपुरा स्थित आराजी खसरा नम्बर 18 रकबा 3.40 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय–पत्र दिनांक 01.07.2010 खरीदकर कब्जा प्राप्त किया है तथा उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर खरीदशुदा आराजी पर प्रार्थीगण अपीलांट बहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त विक्रय–पत्र के आधार पर न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में जेरकार अपील मे प्रार्थीगण को प्रभावित पक्षकार मानकर प्रार्थन–पत्र में पक्षकार कायम किया गया है। इस प्रकार प्रार्थीगण योग्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेश एवं डिक्री से प्रभावित पक्षकार होने से अपीलांटगण प्रार्थीगण को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। अन्त मे प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

12. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 5 से 7 की ओर से अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत धारा–96 सी.पी.सी. के प्रार्थना–पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थना–पत्र में स्वयं अपीलांट द्वारा यह आलेखित किया गया है कि विवादित आराजी के मामले मे राजस्व मण्डल अजमेर मे अपील पेश कर रखी है और माननीय मण्डल से भूमि के मौके एवं राजस्व अभिलेख की यथास्थिति का आदेश हो रहा है। इस प्रकार अपीलांट के हक व अधिकार राजस्व मण्डल द्वारा ही तय किये जाने है। माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत हस्तगत अपील मे अपीलांट प्रभावित पक्षकार नहीं है। अन्त मे अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से प्रभावित पक्षकार नहीं होना बताते हुए अपीलांट प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत धारा 96 सी.पी.सी. प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

13. हमने अधिवक्ता अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. व अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 5 से 7 की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण अपीलांटगण ने कथन किया है कि उन्होने विवादित भूमि को जरिये पंजीकृत विकय–पत्र दिनांक 01.07.2010 से कय की है तथा कयशुदा भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे है, अपने कथन की पुष्टि हेतु अपीलांटगण की ओर से पंजीकृत विकय–पत्र दिनांक 01.07.2010 की फोटोप्रति प्रस्तुत की है, जिसके अनुसार पंजीकृत विकय पत्र से विवादित भूमि अपीलांटगण द्वारा कय किया जाना प्रतीत होता है। उक्त पंजीबद्ध विकय पत्र आज भी अस्तित्व में है। अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय मे पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया था। पंजीबद्ध विकय पत्र पर प्रतिवादी जमना के भी हस्ताक्षर अंकित है। अतः प्रथम दृष्ट्या अपीलांटगण प्रश्नगत भूमि एवं वाद मे हितबद्ध पक्षकार प्रतीत होते है तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.04.2021 से प्रभावित पक्षकार है। न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 28.07.2021 से स्पष्ट है कि पूर्व मे ही इस आदेश द्वारा अपीलांटगण के धारा–96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया है तथा अपीलांट को प्रकरण मे आवश्यक एवं हितबद्ध पक्षकार माना है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर न्यायहित मे अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया गया।

14. अपील संख्या 2021/133(नवीन नम्बर 2022/274) के विद्वान अधिवक्ता अपीलांट श्री बृजमोहन मालव ने अपील मेमों मे अंकित कथनों को दोहराया और बहस में निवेदन किया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एवं डिक्री विधि, न्याय एवं संचिका में सिद्धि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। साथ ही राजस्थान सरकार गृह (गुप–9) विभाग दिनांक 18.04.2021 विषय कोरोना संक्रमण के तेज रफ्तार के प्रसार को देखते हुए इसके प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु दिनांक 19.04.2021 सोमवार प्रातः 5.00 बजे से दिनांक 03.05.2021 सोमवार प्रातः 5.00 बजे तक सम्पूर्ण प्रदेश में जन अनुशासन पखवाड़ा बाबत अधिसूचना के अनुसार सभी सरकारी कार्यालय (न्यायालय आदि) के बंद रहने की अधिसूचना जारी होने के उपरान्त भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19.04.2021 को प्रार्थीगण के पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिनांक 20.04.2021 को रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के पक्ष में डिक्री कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है। रेस्पोडेन्ट कम 1 कन्हैयालाल गोलीवार लगभग 100 साल बाद वाद लेकर आया जबकि 70 साल पूर्व से ही कलेक्टर जागीर डिक्री कोटा के आदेश नम्बर 333 पुस्तक संख्या 146 दिनांक 08.02.1954 को माफी पन्नालाल रिज्यूम हुई तथा खाता नम्बर 61 पर भी नोट दर्ज है जिसके आधार पर दिनांक 14.02.1956 पुस्तक संख्या 164 इन्तकाल संख्या 620 का नोट दर्ज हुआ और खसरा नम्बर 44 की रकबा 24 बीघा 9 बिस्वा नारायण मोती लश्करी के खाते दर्ज हुई, खाते चली आ रही है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही रेस्पोडेन्ट क्रम 1 द्वारा प्रस्तुत वाद को अपीलाण्ट के विरूद्ध डिक्री कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक

है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह भली भांति स्पष्ट था कि उक्त वाद विषयक भूमि नारायण आत्मज मोती जाति लश्करी की खातेदारी में दर्ज रही है। नारायण आत्मज मोती के वारिसान के मध्य पूर्व में चले विभाजन के कन्सोलीडेट वाद में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा तत्समय दिनांक–5–6–2009 को विभाजन की डिक्री प्रदान की गयी थी, जिसके सम्बंध में प्रस्तुत अपील संख्या–69/2009 व अपील संख्या–98/2009 बउनवान जमनाबाई बनाम रामनाथी व बउनवान रामनाथी बनाम जमनाबाई में माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकरी कोटा द्वारा दिनांक 7–6–2010 को विभाजन की डिक्री प्रदान की गयी और न्यायालय द्वारा पारित विभाजन की अन्तिम डिक्री के परिणामस्वरूप ग्राम बोरखण्डी तहसील लाडपुरा जिला कोटा के खसरा नम्बर–18 की 3.40 हैक्टेयर भूमि रेस्पोडेन्ट नम्बर–2 लगायत –4 के नाम व शेष 0.56 है0 रेस्पो० नम्बर–5 लगायत–7 के नाम दर्ज की गयी किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व विभाजन की डिक्री एवं ऊपर वर्णित सभी सारवान तथ्यो को नजरअंदाज कर पूर्णतया गलत व गैरकानूनी रूप से वादी कन्हैयालाल गोलीवार के वाद को स्वीकार कर अपीलाधीन डिक्री पारित की है, जो पूर्णतया अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह भी भली भांति स्पष्ट था कि न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा प्रदत्त की गयी विभाजन की डिक्री के अनुसरण में खसरा नम्बर–18 की रकबा 3.40 है0 भूमि रेस्पोडेन्ट क्रम– 2 लगायत 4 की खातेदारी में दर्ज होने के पश्चात रेस्पो० नम्बर–2 लगायत 4 द्वारा अपनी उक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की उक्त खसरा नम्बर–18 की रकबा 340 है0 भूमि पूर्णतया वैधानिक रूप से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक–1–7–2010 को अपीलांटगण को बैचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया है। और कानूनन धारा–54 सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम व धारा 41 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि में बाद बैचान रेस्पो० नम्बर–2 लगायत –4 के कोई भी हक अधिकार निहित नहीं रहे है और अपीलाण्ट प्रार्थी के उक्त भूमि में बाद खरीद सभी प्रकार के खातेदारी हक अधिकार निहित है, जिसके कारण अपीलाण्ट की उपस्थिति के बिना उक्त बाद में कोई भी प्रभावी निर्णय पारित नही किया जा सकता, और अपीलाण्ट प्रार्थी उक्त वाद में आवश्यक व उचित पक्षकार है, किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यात्मक व कानूनी स्थिति को नजर अंदाज कर गलत व गैरकानूनी रूप से अपीलाण्ट के पक्षकार बनने का प्रार्थना–पत्र को दिनांक–19–4–2021 को खारिज कर दिया और अपीलाण्ट को उसे उसका पक्ष रखने और पत्रावली पर वास्तविक तथ्य रखने का मौका न देकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत पूर्णतया गलत व गैरकानूनी रूप से आनन फानन में अगले ही दिनांक–20–4–2021 को वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री भी कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट द्वारा यह तथ्य भी स्पष्ट कर दिया गया था कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपने यहा उक्त भूमि के संबंध में ही विचाराधीन अपील संख्या–3165/2010 व अपील संख्या– 3166/2010 में अपीलाण्ट को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से उक्त भूमि खरीद करने से आवश्यक पक्षकार मानते हुऐ दिनांक 24–1–2020 को पक्षकार के रूप में संयोजित किया जा चुका है। कानूनन

माननीय राजस्व मण्डल अजमेर उच्चतर न्यायालय है, जिनके निर्णय व आदेश अधी० न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा पर बाध्यकारी प्रभाव रखते है, जिसके कारण अधीनस्थ न्यायालय के ऊपर यह विधिक दायित्व था, कि वह अपीलाण्ट को उनके यहां विचाराधीन अपील विषयक वाद में पक्षकार के रूप में संयोजित करते, किन्तु अधी० न्यायालय ने मनमर्जी रूप से उक्त सभी तथ्यों को नजर अंदाज कर निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित कर दिया। यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि वादी कन्हैयालाल गोलीवार लगभग 100 वर्ष बाद अधीनस्थ न्यायालय के यहां वाद लेकर आया है, जबकि राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 के अनुसार लगभग 70 वर्ष पूर्व जांगीर कलेक्टर डिप्टी रजिस्ट्रार कोटा के आदेश संख्या–333 पुस्तक संख्या–146 दिनांक 8–2–1954 से उक्त भूमि से माफी पन्नालाल रिज्युम हो गयी और खाता संख्या–61 पर इसका इन्द्राज भी राजस्व रिकॉर्ड में कर दिया गया, जिसके आधार पर दिनांक 14–2–1956 पुस्तक संख्या – 164 इन्तकाल संख्या–620 का नोट भी दर्ज हो रहा है और तदानुसार माफी रिज्युम हो जाने के पश्चात ग्राम बोरखण्डी की उक्त भूमि गत खसरा नम्बर – 44 की रकबा 24 बीघा 9 बिस्वा उक्त भूमि के काबिज कृषक नारायण आत्मज मोती लश्करी गांव नयानोहरा की खातेदारी में विधि अनुसार दर्ज की गयी है और राजस्थान भूमि सुधार एवम जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम–1952 के अनुसार उक्त भूमि से माफी रिज्युम हो जाने के पश्चात नारायण आत्मज मोती लश्करी को विधिक रूप से खातेदारी अधिकार प्राप्त हुऐ है। और कानूनन उक्त भूमि में वादी कन्हैयालाल गोलीवार के कोई भी हित अधिकार निहित नहीं है, ना ही उसके पक्ष में किसी प्रकार के खातेदारी अधिकारो की घोषणा की जा सकती है, किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त कानूनी व तथ्यात्मक स्थिति को नजर अंदाज कर वादी के पक्ष में अपीलाधीन डिक्री पारित की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–5 (23) धारा–15 का गलत विवेचन किया है। वादी के पिता व पूर्वज को धारा–15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है, इसके विपरीत राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम एवम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–13 व 15 के अनुसार रेस्पोडेन्ट नम्बर–2 लगायत –4 के पूर्वज नारायण आत्मज मोती लश्करी को उक्त भूमि का कृषक होने से विधिक रूप से खातेदारी अधिकारी प्राप्त हुऐ है, किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमर्जी एवम गलत रूप से कानून की विवेचना कर वादी के वाद को गलत गैरकानूनी रूप से स्वीकार किया है। कानूनन राजस्थान भूमि सुधार एवम जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम–1952 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर अध्यारोही प्रभाव रखता है। जिसके कारण श्रीमान डिप्टी कलेक्टर जांगीर का रिज्युम आदेश किसी भी राजस्व व सिविल न्यायालय द्वारा आक्षेपित नही किया जा सकता। श्रीमान डिप्टी कलेक्टर जागीर का आदेश अन्तिम आदेश है, जिसके विरूद्ध जाकर कोई भी डिक्री पारित नहीं की जा सकती, किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद गलत व गैरकानूनी तौर पर स्वीकार कर डिक्री करने में गंभीर कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से यह स्पष्ट था कि पेशी

दिनांक–19–8–2019 को रेस्पो० नम्बर–2 लगायत 4 की और से वकालत नामा पेश कर वाद–पत्र एवम दस्तावेज की नकल दिलाने हेतु निवेदन किया और दिनांक–13–9–2019 को जवाब दावा प्रस्तुत किया तथा इसके पश्चात दिनांक–20–9–2019 को रेस्पो० नम्बर–5 लगायत 7 द्वारा आदेश– 7 नियम–11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया, जिसका जवाब वादी द्वारा दिनांक 30–9–2019 का दिया गया। इसके पश्चात रेस्पोडेन्ट क्रम–2 लगायत– 4 द्वारा भी दिनांक–25–11–2019 को एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश–7 नियम–11 सीपीसी व धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत किया, जिसका जवाब वादी द्वारा दिनांक–2–11–2019 को प्रस्तुत किया। दिनांक–12–12–2019 को रेस्पो० नम्बर–2 लगायत – 4 द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किये व दिनांक–13–2–2020 को रेस्पो० नम्बर–2 लगायत 4 द्वारा अपना प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश–7 नियम–11 सीपीसी नोटप्रेस किये जाने हेतु एक आवेदन जयें श्री अशोक गुप्ता एडवोकेट के द्वारा पेश किया गया। दिनांक–18–2–2019 को रेस्पो० नम्बर–5 लगायत–7 की ओर से आदेश – 7 नियम–11 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र नोटप्रेस किये जाने हेतु आवेदन–पत्र पेश हुआ और तत्तपश्चात जांगीर कलेक्टर डिक्री आदेश संख्या–333 पुस्तक संख्या–146 दिनांक– 8–2–1954 को पन्नालाल माफी रिज्युम होने एवम उसका अंकन खाता संख्या – 61 में होने के आदेश की पत्रावली तलब करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत हुआ । तत्पश्चात दिनांक–28–2–2020 को रेस्पो० नम्बर–2 लगायत – 4 की और से आदेश – 7 नियम–11 सीपीसी की लिखित बहस प्रस्तुत की गयी और अधिवक्ता श्री अशोक गुप्ता द्वारा रेस्पो० की जाति दुरूस्त करने का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया, इस प्रकार अधी० न्यायालय के समक्ष पूर्व जवाब दावे को रिकॉर्ड से हटाने, पत्रावली तलब करने, जाति दुरूस्त करने, प्रार्थना–पत्र नोट प्रेस करने आदि के प्रार्थना–पत्र विचाराधीन थे, किन्तु अधी० न्यायालय द्वारा उक्त सभी प्रार्थना–पत्र का निस्तारण किये बगैर ही पूर्णतया गलत व गैरकानूनी रूप से निर्णय जैर अपील प्रदान करने में गंभीर त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह भी भली भांति स्पष्ट था कि रेस्पो० नम्बर–2 लगायत 4 द्वारा उक्त वाद में सर्वप्रथम जवाब दावा प्रस्तुत कर अपने पूर्वज नारायण आत्मज मोती लश्करी को उक्त भूमि पर विधिक रूप से खातेदारी अधिकार प्राप्त होने और न्यायालय से विभाजन की डिक्री के अनुरूप उक्त वाद विषयक भूमि रेस्पो० नम्बर–2 लगायत –4 व रेस्पो० नम्बर–5 लगायत–7 को प्राप्त होने व रेस्पो० नम्बर–2 लगायत 4 द्वारा अपनी खातेदारी की वाद विषयक भूमि अपीलाण्ट को बैचान कर देने की स्वीकृति आलेखित की गयी थी और कानूनन कोई भी पक्षकार अपनी स्वीकृति के विपरीत नहीं जा सकता। रेस्पो०– नम्बर – 2 लगायत – 7 द्वारा दौराने वाद, वादी कन्हैयालाल गोलीवार व उसके मुख्तारआम सुरेश गोस्वामी से कोल्युजन कर अपीलाण्ट के हितो को नुकसान पहुंचाने के दुराशय से राजीनामा, साक्ष्य शपथ–पत्र आदि प्रस्तुत किये है और कोल्युजनपूर्वक वादी कन्हैयालाल गोलीवार के वाद को स्वीकार करने का दुर्भाविक प्रयास किया है और कानूनन पक्षकारान के उक्त दुर्भाविक व अस्वच्छ आचरण को देखते हुऐ वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य नहीं था, किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद

गलत व गैरकानूनी रूप से स्वीकार कर डिक्री किया गया है। उक्त आराजी के सम्बंध में वर्ष 1985 से चले विभिन्न प्रकरणो में उक्त वाद विषयक आराजी रेस्पो० नम्बर–2 लगायत – 7 द्वारा अपने पूर्वज नारायण आत्मज मोती लश्करी की खातेदारी एवम कब्जे काश्त की होने के तथ्य को स्वीकार किया गया है। रेस्पो० नम्बर–2 लगायत 4 द्वारा अपनी हिस्सा आराजी अपीलाण्ट को बैचान की जा चुकी है, उनका उक्त आराजी में कोई भी हित अधिकार नहीं रहा है, किन्तु फिर भी उनके द्वारा वादी के साथ कोल्युजन व षडयन्त्र कर वादी का वाद डिक्री करवाया गया है, जो त्रुटिपूर्ण होने से खारिज किये जाने योग्य है। रेस्पो० नम्बर–2 लगायत –4 व रेस्पो० नम्बर–5 लगायत 7 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी के वाद – पत्र का खण्डन किया गया था, जिसके कारण कानूनन दावे व जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर एवम साक्ष्य आदि लेकर ही निर्णय पारित किया जाना चाहिए था, किन्तु अधी० न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के विधिक प्रावधानों की पालना किये बगैर और तनकीयात कायम किये बिना गलत व तौर पर निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित किया हैं। रेस्पो० नम्बर–2 लगायत 4 द्वारा वादी के साथ मिलीभगत कर अपीलाण्ट को नुकसान पहुंचाने की ध्येय से अधी0 न्यायालय के यहां शपथ–पत्र व राजीनामा आलेखित कर दिया, जबकि रेस्पो० नम्बर–2 लगायत 4 द्वारा पूर्व में प्रस्तुत जवाब दावे में बाद विषयक आराजी अपीलाण्ट को बैचान करने के तथ्य आलेखित किये थे, जिसके कारण अपीलाण्ट के हितो के विरूद्ध रेस्पो० नम्बर–2 लगायत –4 को वादी कन्हैयालाल गोलीवार के साथ कोल्युजन कर कोई भी शपथ–पत्र व राजीनामा पेश करने का अधिकार नही था, इसके अलावा यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कानूनन अभिवचनों से परे कोई भी केस निधार्रित नही किया जा सकता, ना ही अभिवचनों से परे प्रस्तुत शपथ–पत्रो का कोई कानूनी महत्व है। रेस्पोडेन्ट वादी व प्रतिवादीगण द्वारा अपीलाण्ट के हितों को नुकसान पहुंचाने के दुराशय से आपस में कोल्युजन कर अभिवचनो के विपरीत जाकर साक्ष्य अधिनियम से परे शपथ–पत्र प्रस्तुत किये है, जिनका कोई भी विधिक महत्व नही है, किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सभी तथ्यो को नजर अंदाज कर वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री पारित करने में गंभीर कानूनी त्रुटि की है। अधी० न्यायालय के समक्ष यह तथ्य भी भली भांति स्पष्ट था कि उक्त भूमि के सम्बंध में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के यहां विचाराधीन अपील संख्या–3165 / 2010 व अपील संख्या–3166/2010 में वादी कन्हैयालाल गोलीवार द्वारा बाद में उठाये गये तथ्यो के आधार पर भूमि में हित बताते हुऐ पक्षकार बनने का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक– 24–1–2020 को खारिज फरमा दिया गया, जिसके कारण अधी० न्यायालय को अभिलेख पर उपलब्ध उक्त महत्वपूर्ण व सारवान तथ्य को नजर अंदाज कर वादी के वाद स्वीकार कर डिक्री कर दिया जो पूर्णतया गलत, गैरकानूनी व त्रुटिपूर्ण है। उक्त वाद विषयक आराजी के सम्बंध में वर्ष 1985 से ही राजस्व न्यायालय में वाद विचाराधीन है। उक्त आराजी के सम्बंध में न्यायालय जिला एवम सत्र न्यायाधीश कोटा के यहा सविदा की विनिर्दिष्ट अनुपालना का वाद भी जैरकार है, किन्तु उक्त वाद–पत्र की प्रति शामिल पत्रावली में होने के बावजूद भी

अधी० न्यायालय द्वारा वादी का वाद डिक्री करने में गंभीर कानूनी त्रुटि की है। अधी० न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट द्वारा कन्हैयालाल के पन्नालाल आत्मज मोतीलाल का बेटा होने के संदर्भ में आपत्ति प्रस्तुत की गयी थी। बाद पत्र में वादी कन्हैयालाल की कही भी जाति आलेखित नहीं थी, ना ही यह स्पष्ट किया गया था कि वादी कन्हैयालाल के पिता का देहान्त कब हुआ और पन्नालाल आत्मज मोतीलाल के अन्य वारिस कौन–कौन है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों के बारे में समुचित जांच किये बिना ही अपीलाण्ट की आपत्तियो को दरकिनार कर बादी के बाद को डिक्री किया है, जो पूर्णतया गलत व गैरकानूनी होने से निरस्त किये जाने योग्य है। भूमाफिया व प्रॉपर्टी डीलर सुरेश गोस्वामी द्वारा उक्त वाद झूठे मुख्तारनामे के आधार प्रस्तुत किया गया है और कानूनन वादी की और से प्रॉपर्टी डीलर सुरेश गोस्वामी को अनरजिस्टर्ड मुख्तारनामे के आधार पर साक्ष्य दर्ज करवाने का कोई भी अधिकार नहीं था, किन्तु फिर भी अधी० न्यायालय द्वारा उक्त सभी तथ्यो को दरकिनार कर बादी का वाद डिक्री करने में गंभीर कानूनी त्रुटि की है। अपीलाण्ट द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 1–7–2010 से वाद विषयक आराजी खरीदकर कब्जा प्राप्त किया जा चुका है और बाद खरीद अपीलाण्ट वाद विषयक आराजी पर कानूनन विधिक रूप से काबिज काश्त होकर उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है। रेस्पो० नम्बर–2 लगायत 4 द्वारा थाना नयापुरा कोटा में अपीलाण्ट के विरूद्ध षडयन्त्र पूर्वक एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसे बाद अनुसंधान पुलिस थाना नयापुरा कोटा द्वारा प्रकरण झूंठा माना गया है। माननीय न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को प्रभावी पक्षकार मानते हुऐ दिनांक–28–7–2021 को उक्त अपील दर्ज फरमाई गयी थी, जिसकी अप्रसन्नता से रेस्पोडेन्ट द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के यहां निगरानी संख्या–3650/2021 बउनवान जानकीदेवी बनाम चेतन प्रकाश प्रस्तुत की जो दिनांक–14–11–2022 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज फरमा दी गयी है। इसी प्रकार माननीय न्यायालय द्वारा अपील संख्या–132 / 2021 बउनवान सूरजमल बनाम कन्हैयालाल में पारित आदेश के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट द्वारा निगरानी संख्या–3590/2021 बउनवान जानकीदेवी बनाम चेतन प्रकाश प्रस्तुत की गयी थी, जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक– 14–11–2021 को रेस्पोडेन्ट द्वारा आगे नही चलाने के कारण खारिज फरमा दी गयी है। रेस्पोडेन्ट रामनाथी, चेतनप्रकाश व श्यामबाई द्वारा माननीय न्यायालय में योग्य अधी० न्यायालय के निर्णय व डिक्ली दिनांक–20–4–2021 की अप्रसन्नता से अपील प्रस्तुत की गयी है। उक्त अपील में अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 7–3–2022 को पक्षकार बनने का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें निर्णय होना है। रामनाथी व अन्य द्वारा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत अपील में वादी के साथ 3 करोड रूपये में करार होना स्वीकार किया है तथा साथ ही राजीनामे को षडयन्त्र रचकर होना बताया गया तथा कब्जा रामनाथी वगैरह का होना बताया है, जिससे स्पष्ट है कि अधी० न्यायालय द्वारा पारित डिक्री रेस्पोडेन्ट्स द्वारा आपस में षडयन्त्र पूर्वक कपट पूर्ण आशय से प्राप्त की गयी है। यहां यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि अपीलाण्ट के उक्त भूमि में हित निहित है। उक्त बाद विषयक भूमि अपीलाण्ट की खरीदशुदा विधिक

खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलाण्ट के पक्ष में निष्पादित विक्रय–पत्र को किसी भी सक्षम न्यायालय से निरस्त नही करवाया गया है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी अपीलाण्ट के हितो के विपरीत है, जिसके कारण उक्त निर्णय जैर अपील को निरस्त करवाया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। वाद विषयक भूमि अपीलांट की जर्ये रजिस्टर्ड विकय–पत्र खरीद शुदा आराजी है, जिस पर अपीलांट काबिज काश्त चला आ रहा है किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के हितो के विपरीत रेस्पोडेन्ट वादी के पक्ष में निर्णय व डिकी जैर अपील पारित की है और रेस्पोडेन्ट द्वारा भी गलत व गैरकाूननी रूप से पारित निर्णय व डिकी जैर अपील का नाजायज फायदा उठाकर उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया और अवांछित फायदा उठाने का प्रयास किया है, जिसके कारण उक्त अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर उक्त निर्णय व डिकी को स्वीकार किये जाने के साथ–साथ उक्त वाद विषयक भूमि पूर्ववत स्थिति में बहाल किये जाने के आदेश पारित किया जाना भी न्यायोचित व आवश्यक है। एक तरफ तहसीलदार लाडपुरा द्वारा पत्र क्रमांक 1223 दिनांक 05.05.2021 से उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला बूंदी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.04.2021 की पालना हेतु जिला कलेक्टर महोदय (विधि) कोटा से मार्गदर्शन चाहा गया जो प्राप्त हुए बिना ही दिनांक 07.05.2021 को विवादित आराजी का नामांतकरण संख्या 638 ग्राम बोरखण्डी रेस्पोडेन्ट कम 1 कन्हैयालाल गोलीवार के नाम तस्दीक कर दिया जो आपसी मिलीभगत को स्पष्ट दर्शाता है।योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि वादी कन्हैयालाल की जाति ना तो वाद पत्र में कहीं अंकित है और ना ही मुख्तार नामा में कहीं जाति ही अंकित है किन्तु फिर भी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा वाद पत्र में एवं आदेश में संशोधन किये बिना ही अपीलाण्ट्स की आपत्तियों का गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही वादी के इंतकाल में जाति दर्ज कर दी जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है। वाद विषयक भूमि अपीलाण्ट की जर्यें रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र खरीद शुदा आराजी है, जिस पर अपीलाण्ट काबिज काश्त चला आ रहा है किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के हितो के विपरीत रेस्पोडेन्ट वादी के पक्ष में निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित की और रेस्पोडेन्ट द्वारा भी गलत व गैरकानूनी रूप से पारित निर्णय व डिक्री जैर अपील का नाजायज फायदा उठाकर उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया और अवांछित फायदा उठाने का प्रयास किया है, जिसके कारण उक्त अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर उक्त निर्णय व डिक्री को अस्वीकार किये जाने के साथ–साथ उक्त वाद विषयक भूमि पूर्ववत स्थिति में बहाल किये जाने के आदेश पारित किया जाना भी न्यायोचित व आवश्यक है। साथ ही यह भी निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट के पिता पन्नालाल की विवादित आराजी दिनांक– 08.02. 1954 को रिज्यूम हो गयी थी, उसके बाद श्री पन्नालाल जी ने लेण्ड रिफॉर्म एण्ड रिजम्पशन जागीर एक्ट 1952 की धारा– 14 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत नहीं किया, इस कारण से रिज्यूम की गई. आराजी पन्नालाल के खाते में दर्ज नही हुई, और ना ही पन्नालाल उक्त आराजी का खातेदार बना, ना ही धारा– 39 में अपील प्रस्तुत हुई, जो

जागीरी लेण्ड धारा– 21 में रिज्यूम हुई थी, उसकी सुनवाई का अधिकार धारा– 46 में रेवन्यू कोर्ट व सिविल कोर्ट बाधित हैं। इस तरह से पन्नालाल ने अपने खातेदारी अधिकार को फोर–गो कर दिया हैं। आदेश 23 नियम 3 (ए) में वाद में समझौता करने का प्रावधान हैं, लेकिन समझौता भारतीय संविधा अधिनियम 1872 से गवर्न होता है। रेस्पोडेन्ट कम– 2 से 4 ने दिनांक 01.07.2010 को जये रजिस्टर्ड सेल डीड खसरा नम्बर– 18 रकबा 3.40 हैक्टेयर भूमि अपीलान्ट को विकय कर दी थी, इस कारण से रेस्पोडेन्ट कम 2 से 4 तक तो विकय की गई भूमि पर किसी भी प्रकार का समझौता करने का अधिकार ही नहीं था। इस कारण से समझौता शुरू से ही शून्य था, शून्य समझौते से ली गई डिकी शुरू से ही शून्य हैं। धारा 144 सी.पी.सी. में प्रत्यास्थापन का प्रावधान हैं, रेस्पोडेन्ट कम– 1 द्वारा प्राप्त डिकी शुरू से ही शून्य हैं, और डिकी के आधार पर विवादित भूमि का म्यूटेशन भी शुरू शून्य, निष्प्रभावी है। इस कारण से अपीलान्ट विवादित भूमि का प्रत्यास्थापन करवाकर अपने खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। अपनी बहस के समर्थन में अधिवक्ता अपीलांट की ओर से न्यायिक दृष्टांत (1993) 1 सुप्रीम कोर्ट केसेज 581 बनवारी लाल बनाम चन्दो देवी प्रस्तुत कर कथन किया कि इस न्यायिक निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि समझौता विधिपूर्ण होना चाहियें, और अविधिक समझौता शुरू ही शून्य है। जिसकी अपील की जा सकती है। न्यायिक दृष्टांत (2016) 1 सुप्रीम कोर्ट केसेज 411 सिटी बैंक एन.ए. बनाम हितेन पी. दलाल प्रस्तुत कर कथन किया कि इस न्याय निर्णय में धारा 144 सी.पी.सी. को परिभाषित किया है। न्यायिक दृष्टांत (2000) 7 सुप्रीम कोर्ट केसेज 543 ग्राम पंचायत ग्राम नौलक्खा बनाम उजागर सिंह प्रस्तुत किया। अन्त में अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक–20–4–2021 निरस्त किये जाने और वादी का वाद सव्यय खारिज किये जाने का निवेदन किया। साथ ही अधी० न्यायालय के उक्त गलत व गैरकानूनी निर्णय व डिक्री दिनांक–20–4–2021 के आधार पर रेस्पोडेन्ट द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाये गये समस्त इन्द्राजात को निरस्त कर वाद विषयक भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति को अधी0 न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक– 20–4–2021 के पूर्व की भांति बहाल किये जाने का आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया। तथा विवादित भूमि खसरा नम्बर 18 रकबा 3.40 हैक्टेयर को अपीलांट के खाते रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज करने का आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता की लिखित बहस शामिल मिसल की गई। अंत में अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिकी दिनांक 20.04.2021 को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

15. अपील संख्या 2021/132 के विद्वान अधिवक्ता अपीलांट श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी ने अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रकरण की जटिलता को देखते हुए प्रकरण की संक्षिप्त पृष्ठभूमि भी जानना आवश्यक है। एक वाद रामनाथी,श्यामबाई,चेतन वगैरह ने 1982 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा मे प्रस्तुत

किया। यह जमना,खेमा, नारायण वगैरह के विरूद्ध था। दौराने वाद ही नारायण की मृत्यु हो गई। नारायण जी ने दिनांक 18.04.1984 को उनके तीन पौत्रों सूरजमल, रामस्वरूप व बलराम के पक्ष में एक रजिस्टर्ड वसीयत की। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा मे बाद मे एक दूसरा वाद जमना, लाडकंवर वगैरह ने प्रस्तुत किया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा ने उपर्युक्त दोनो वाद समेकित किए तथा दिनांक 05.06.2009 को निर्णय व डिक्री पारित की। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 05.06.2009 के विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी कोटा के सम्मुख दो अलग–अलग अपीले(अपील संख्या 69/09 एवं अपील संख्या 98/09) प्रस्तुत की गई। उक्त दोनो अपीलो का एकसाथ निर्णय राजस्व अपील अधिकारी कोटा द्वारा दिनांक 07.06.2010 को किया गया। राजस्व अपील अधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 07.06.2010 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर मे अपील प्रस्तुत की गई तथा माननीय राजस्व मण्डल ने दिनांक 29.06.2010 को राजस्व अपील अधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 07.06.2010 की पालना को स्थगित कर दिया। चूंकि प्रश्नगत भूमि सर्वप्रथम नारायण जी के नाम सबसे पहले दर्ज हुई अतः यह स्वयं अर्जित श्रेणी की भूमि है, अतः नारायण जी को इस भूमि की वसीयत करने का अधिकार था। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 05.06.2009 मे उक्त वसीयत को सही माना गया परन्तु राजस्व अपील अधिकारी कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 07.06.2010 में उक्त वसीयत को सही नहीं माना तथा प्रश्नगत खसरा नम्बर. 18 की भूमि को जमना वगैरह के हिस्से मे रखा। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 29.06.2010 को राजस्व अपील अधिकारी कोटा के निर्णय की पालना पर रोक लगा दी। बाद मे प्रकरण एक बार रेस्टोर भी हुआ तथा माननीय राजस्व मण्डल से स्थगन जारी रहा। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सी.पी. सी. के तहत कन्हैयालाल गोलीबार जरिये मुख्तारआम प्रस्तुत किया गया था, जिसमे माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 24.01.2020 में इन्हें आवश्यक पक्षकार नहीं माना तथा इसी निर्णय में अंकित है कि कलक्टर जागीर के आदेश से प्रश्नगत भूमि माफी रिज्युम हो गई। वादी कन्हैयालाल गोलीबार ने एक नवीन वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा में दिनांक 14.05.2019 को प्रस्तुत किया जिसमे प्रतिवादी के रूप में श्रीमती जमना बाई, लाडकंवर, मोहनीबाई, रामनाथी, चेतनप्रकाश, श्यामबाई आदि रामलाल के वारिसान को संयोजित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत वाद में स्वयं वादी ने वाद के पैरा संख्या 7 तथा पेरा संख्या 9 में स्वयं माना कि नारायण के दो पुत्र थे। जब वाद मे रेस्पोडेन्ट ने नारायण को चैलेंज किया है तो स्वतः ही उनके सभी वारिसान तो वाद मे होने चाहिए तथा वे वाद में आएंगे ही। परन्तु वादी ने जानबूझकर अपीलांटगण को जो नारायण के विधिक वारिस है, उन्हे पक्षकार नहीं बनाया। वाद के पैरा नम्बर 17 में वाद कारण कॉज–ऑफ–एक्शन को देखना आवश्यक है। इसमें तीन कॉज ऑफ एक्शन है, अतः नियमों से स्पष्ट है कि मियाद पहले कॉज–ऑफ–एक्शन से लागू होगी। अतः अधीनस्थ न्यायालय में इनका वाद मियाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य था। वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का तर्क है कि नारायण का नाम रिकॉर्ड मे सेटलमेंट

विभाग ने दर्ज किया है, जबकि हमारा कहना है कि कलक्टर जागीर व जैली से भूमि नारायण के नाम बांधी गई। प्रश्नगत वाद के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 13.07.2019 को जमना वगैरह ने प्रतिवादी के रूप मे जवाबदावा प्रस्तुत किया था। तथा इस जवाबदावे में सारे तथ्य अंकित है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सभी तथ्यों और कानून पर गौर किए प्रश्नगत निर्णय पारित कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय में पूर्व के प्रस्तुत लिखित जवाबदावे से बाद में प्रतिवादीगण पलट गये। प्रतिवादीगण जमना वगैरह रामलाल के वारिसान है व वादी ने इनसे राजीनामा कर लिया। अधीनस्थ न्यायालय में किया गया यह राजीनामा कानूनन गलत है तथा यह राजीनामा ग्राह्य नहीं है। प्रतिवादीगण का पूर्व में अलग जवाबदावा तथा फिर राजीनामा करना अपने आप में संशय पैदा करता है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण द्वारा अलग–अलग आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये गए तथा इनमें भी कई तथ्य अंकित थे परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने न तो इन तथ्यों पर ध्यान दिया तथा न ही इन प्रार्थना–पत्रों पर कोई निर्णय पारित किया। जागीर कलेक्टर के आदेश तथा इंतकाल संख्या 620 से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि रिज्युम हो गई थी। नारायण का नाम रिकॉर्ड मे जैली के रूप मे भी था तथा बाद में राजस्व रिकॉर्ड में प्रश्नगत भूमि नारायण के नाम दर्ज हुई, जो कानूनन सही था। नारायण जी द्वारा प्रश्नगत भूमि की वसीयत अपीलांटगण के पक्ष मे की गई। वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में सन् 1957 के बाद कभी नहीं आया। अतः वादीगण के कोई हक अधिकार बनते ही नहीं है। प्रतिवादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में किए राजीनामे में कब्जा भी वादी का मान लिया। खातेदारी घोषणा व कब्जे काश्त के संबंध मे बिना कोई तनकीयात कायम किए तथा बिना साक्ष्य लिए राजीनामा के आधार पर वादी के पक्ष मे निर्णय व डिक्री जारी कर दी। एक अन्य प्रार्थना–पत्र भी महत्वपूर्ण है जो अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 13.02.2020 को प्रस्तुत किया गया जिसमें जाति के संबंध मे प्रार्थना है। जबकि यह जाति से बैरवा है। दूसरे गांव मे भी प्रतिवादी की भूमि है जिसमें इनकी जाति चमार अंकित है। महेश गुप्ता व अन्य नें इसी विवादित प्रश्नगत भूमि में भूमि खरीदी है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 का उल्लंघन भी है। इन्होंने ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे वादीगण का कब्जा साबित होता हो। कलक्टर जागीर के आदेश को सिविल या राजस्व न्यायालय मे चुनौती नहीं दी जा सकती। इस संबंध मे अधिवक्ता अपीलांट ने आर.आर.डी. 1978 पेज 520 तथा आर.आर.डी. 1969 पेज 299 को उद्धृत किया । राजस्थान लेण्ड रिफॉर्म एण्ड रिजम्पशन ऑफ जागीर एक्ट का सेक्शन 46 राजस्व न्यायालय को कलेक्टर जागीर के आदेश के विरूद्ध सुनवाई से रोकता है। अधिवक्ता अपीलांट ने सी.डी.आर. 2012(1) माननीय उच्चतम न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत उद्धृत करते हुए कथन किया कि प्रथम कॉज–ऑफ–एक्शन से लिमिटेशन प्रारंभ होती है, इनका पहला कॉज–ऑफ–एक्शन नारायण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में आते ही हो गया था अतः हस्तगत प्रकरण में लिमिटेशन सीमा भी वहीं से प्रारंभ होगी। इनका विवादित भूमि पर कब्जा काश्त भी नहीं है। बेदखली की मियांद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों, राजस्थान

काश्तकारी अधिनियम की धारा 214 तथा थर्ड शैड्यूल में जो मियाद अवधि बेदखली के लिए निर्धारित है, वह ही लागू होगी। इसमें आर्टिकल 64, 65 लागू नहीं होंगे तथा इस संबंध मे आर.आर.टी. 2015(2) पेज 1376 को उद्धृत किया। वादी रेस्पोडेन्ट का तर्क है कि हमने अधीनस्थ न्यायालय मे वाद में उन्हीं को पक्षकार बनाया जिनका नाम जमाबंदी मे दर्ज था। परन्तु इनके वाद का मुख्य आधार ही यह रहा है कि नारायण के नाम प्रश्नगत भूमि गलत रूप से रिकॉर्ड मे दर्ज की गई। हमारा कहना है कि उत्तराधिकार कभी अबेयंस में नहीं रहता। यदि हमारा नाम रिकॉर्ड में उस समय नहीं भी था तो यह तो तथ्य है कि हम नारायण के वारिस तो है। क्या उत्तराधिकारी को नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर सुना नहीं जाना चाहिए? प्रतिवादीगण जमनाबाई वगैरह का लिखित जवाब रिकॉर्ड पर था इस पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कोई फाइंडिंग नहीं दी। हम नारायण के उत्तराधिकारी है, माननीय राजस्व मण्डल में हम इसी प्रश्नगत भूमि को लेकर लम्बित प्रकरण में पक्षकार है तथा यह बातें माननीय अधीनस्थ न्यायालय के संज्ञान में भी आ चुकी थी, ऐसी स्थिति में नोटिस जारी कर आवश्यक पक्षकारों को सुनना चाहिए था। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने न्यायिक दृष्टांत सी.डी.आर. 2007 पेज 1 माननीय उच्चतम न्यायालय तथा आर.एल.डब्ल्यु. 2003(4) पेज 509 को उद्धृत करते हुए विशेषकर इन पंक्तियों पर ध्यान आकृष्ट किया, " Even God himself did not pass sentence upon Adam before he was called upon to make his defence. 'Adam' (says God), 'where are thou?' Hast thou not eaten of the tree whereof I commanded thee that 'thou shouldest not eat?' " तथा आगे उद्धृत किया कि "Natural justice is the essence of fair adjudication, deeply rooted in tradition and conscience, to be ranked as fundamental. The purpose of following the principles of natural justice is the prevention of miscarriage of justice." अतः नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर हितबद्ध पक्षकार के रूप में उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाना उचित है तथा इन्हें यह अवसर दिया भी जाए। इन्होने जागीर कलेक्टर के आदेश को आज तक भी चुनौती नहीं दी है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी नियमों एवं प्रकिया से परे जाकर विधि के विपरीत निर्णय पारित किया है। कोरोनाकाल में एक दिन राजीनामा तथा अगले दिन आदेश भी जारी कर दिया। वादी माफीदार ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद इस कथन के साथ प्रस्तुत किया है कि उक्त भूमि माफीदार के खुद काश्त में दर्ज थी वह गलत तौर पर श्री नारायण जी के खाते दर्ज कर दी गयी थी । किन्तु वादी द्वारा श्री नारायण जी के समस्त वारिसान के पक्षकार बनाये बिना ही वाद पेश कर राजीनामे के आधार पर वाद डिक्री करवा लिया जो त्रुटी पूर्ण है। अपीलांट भी श्री नारायण जी के वारिस है, उन्हें पक्षकार बनाये बिना एवम् सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है जो Natural Justice के

सिद्धांतो के सर्वया विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उक्त भूमि वक्त रिजम्बशन माफी वादी के पूर्व हक अधिकारी श्री मोतीलाल जी के खुद काश्त में नहीं थी और श्री मोतीलाल जी ने इस भूमि को जागीर कलक्टर से खुद काश्त भी घोषित नहीं करवाया है। माफी रिज्यूम होने के पूर्व से ही श्री नारायण जी बहेसियत उप–कृषक भूमि को काश्त करते चले आ रहे थे तथा वक्त रिजम्बशन माफी श्री नारायण जी ही बहैसियत उप कृषक भूमि को काश्त कर रहे थे, राजस्व रेकोर्ड में भी श्री नारायण जी का नाम बहैसियत जेली दर्ज है तथा कोटा स्टेट के राजस्व कानून सर्कुलर नं. – 3 की धारा 69 के अनुसार जेली उप–कृषक की परिभाषा में आता है जिसे हेरिटेबल राइट प्राप्त थे। माननीय उच्च न्यायालय एवम् माननीय राजस्व मैडल द्वारा पारित निर्णयों के अनुसार जेली कोटा स्टेट में उप कृषक माना गया है । वाद पत्र में वर्णित भूमि के पूर्व में अपीलांट खातेदार टेनेन्ट राजस्व अभिलेखों में दर्ज थे अपीलांट एवम् प्रतुत अपील में रेस्पो. नं. 2 लगायत 7 (जो कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादी गण है) के मध्य दो वाद पूर्व में ही जेरकार थे जिसमे दिनांक 07.06.2010 को माननीय न्याया. राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा से निर्णय होकर रेस्पो. नं. 2 लगायत 7 को इस भूमि का खातेदार टेनेन्ट घोषित किया गया था। उक्त निर्णय दिनांक 07.06.2010 थे विरुद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील जेरकार है जिसमे दिनांक 29.06.2010 को स्थगन आदेश जारी कर दिया था जो आज तक भी प्रभावशील है (विस्तृत विवरण मेमो ऑफ अपील में दर्ज है) इस बात की वादी एवम् प्रतिवादीगण दोनों को जानकारी है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में दर्ज भूमि के सम्बन्ध में स्थगन आदेश होते हुए प्रस्तुत वाद मेनटेनेबल ही नहीं था । उक्त भूमि अतिरिक्त जिला कलक्टर जागीर के आदेश से खालसा हुई है तथा अति. जिला कलक्टर के आदेश को तत्कालीन माफीदार द्वारा कभी भी चुनौती नहीं दी गई है तथा जागीर एक्ट के प्रावधानों के अनुसार किसी भी राजस्व अथवा दीवानी न्यायालय के उक्त आदेश की वेलिडिटी को चेलेंज नहीं किया जा सकता ऐसी स्थिति में वादीगण को वाद प्रस्तुत करने का ही अधिकार नहीं था । श्री नारायण जी को राजस्थान टेनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16A एवम् धारा 19 (1) A के तहत कानूनन इस भूमि के खातेदार टेनेन्ट हो गए थे तथा राजस्व अधिकारीयों ने सही तौर पर ही राजस्व अभिलेखों में श्री नारायण जी का नाम बहेसियत खातेदार टेनेन्ट दर्ज किया था तथा श्री नारायण जी की पंजीकृत वसीयत के आधार पर अपीलांट भूमि के खातेदार टेनेन्ट दर्ज किये गए थे। उक्त भूमि वक्त रिजम्बशन से ही श्री नारायण जी एवं उनके देहावसान के वाद बहैसियत वारिस अपीलांट के खाते व कब्जे में चली आ रही है। पिछले 75 वर्षों से वादी के पूर्व अधिकारीगण अथवा वादी का इस भूमि पर कब्जा नहीं रहा है । वादी स्वयं ने वाद कारण भूमि श्री नारायण जी के खाते दर्ज होने पर माना है जिसे 70 वर्ष से भी ऊपर हो गये है ओर इस आधार पर भी वाद मियाद बाहर है। अपीलांट एवम् रेस्पो. नं. 2 लगायत 7 के मध्य माननीय न्याया. राजस्व मण्डल अजमेर में इसी भूमि के के सम्बन्ध में अपील जेरकार है जिसमे पक्षकारान के हको का निर्धारण होना है । अभी पक्षकारान के हक

अंतिम तौर पर निर्धारित नहीं हुए है । उक्त अपील के जेरकार रहते रेस्पो. नं. 2 लगायत 7 को प्रस्तुत मामले में राजीनामा करने का अधिकारी नहीं था । पक्षकारान के मध्य अपील जेरकार रहते इस वाद में प्रतिवादीगण नं. 1 लागायत 6 जो प्रस्तुत अपील में रेस्पो. नं. 2 लगायत 7 है द्वारा राजीनामा से की गयी डिक्री एवम् निर्णय धारा 52 टी. पी. एक्ट के प्रावधानों के अनुसार मान्य नहीं है एवम् निरस्तनीय है । अधि. न्याया. ने बिना किसी दस्तावेज एवम् शहादत के ही सिर्फ वादी एवम् प्रतिवादी के कथन के आधार पर ही निर्णय एवम् डिक्री पारित कर दिया अधीनस्थ न्याया. ने इस कानूनी बिंदु एवम् माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित सिद्धांत कि, राजस्व प्रकरणों में राजस्व अभिलेख जो समय पर तैयार किये जाते है का महत्व होता है तथा मौखिक साक्ष्य मान्य नहीं होती, को नजर अन्दाज कर निर्णय एवम् डिक्री पारित करने में त्रुटी भी है । अधि. न्याया. ने सिर्फ शपथ पत्रों को आधार मानकर निर्णय पारित किया है । शपथ पत्र आदेश 18 नियम 16 (3) व्यवहार प्रक्रिया संहिता की पालना किये बिना आर्डर 16 नियम 4 के तहत पेश किये शपथ पत्र को धारा 3 साक्ष्य अधिनियम के तहत साक्ष्य में ग्राह्य नहीं माना है तथा प्रस्तुत प्रकरण में किसी भी दस्तावेजों पर प्रदर्श भी नहीं डाला गया है अतः दस्तावेज एवं साक्ष्य के बिना प्रकरण का निर्णय करने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटी की है। व्यवहार प्रक्रिया संहिता को आदेश 23 नियम 3 के तहत कम्प्रोमाइज के आधार पर वाद तब ही डिक्री किया जा सकता है जबकि वह वैलिड हो। इस नियम के एक्सप्लेशन के तहत वोइड अथवा वोईडेबल कम्प्रोमाइज के तहत वाद निर्णित नहीं किया जा सकता। अपिलांट की उक्त बहस के आधार पर पक्षकारान द्वारा राजीनामे के आधार पर जो निर्णय प्राप्त किया है वह वैध नहीं होने से निर्णय एवम् डिक्री निरस्तनीय है । रेस्पो के अभिभाषक का यह कथन कि कम्प्रोमाइज के आधार पर की गयी डिक्री की अपील नहीं हो सकती, यह आधार ही गलत है । नियमानुसार कम्प्रोमाइज में जो पक्षकार है वह अपील नहीं कर सकते किन्तु यदि अन्य व्यक्ति जो उस कम्प्रोमाइज में पक्षकार नहीं है एवं उक्त निर्णय एवं डिक्री से उसके हक़ प्रभावित होते है तो उसे अपील करने का अधिकार है इसीलिय माननीय न्याया ने अपीलांट द्वारा धारा 96 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत पेश किये गए प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपी. को एग्रिड पासन मानकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की है। कि 1994 RRD 1 पर जो माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय दिया गया है उसमे कोटा सर्कुलर नं. 3 के अनुसार जेली की व्याख्या सही नहीं की है तथा उक्त निर्णय मूर्ति मंदिर जी कि नाबालिक मानी गई है के बाबत है जो प्रस्तुत मामले पर लागु नहीं होती है। इस सन्दर्भ में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने 2003 RRD 367 में विस्तार से विवेचना करते हुए निर्णय पारित किया है। इस निर्णयानुसार भी श्री नारायण जी भूमि के खातेदार टेनेन्ट बन गए थे। प्रस्तुत वाद में पूर्व में पूर्व में प्रतिवादी द्वारा वाद के कथनों से इंकार करते हुए अपना जवाब दावा पेश किया था किन्तु परिवादी ने अपने पूर्व कथन के विपरित राजीनामा करने एवम् उसे स्वीकार करने में अधि. न्याया. ने त्रुटी की है। अपनी बहस के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने न्यायिक दृष्टांत 1978 आर.आर.डी. पेज 520 (एस.सी.),

1969 आर.आर.डी. पेज 299, 2007 सी.डी.आर. पेज 1(एस.सी.), 2003(4) आर.एल.डब्ल्यु पेज 509 (एस.सी.) , 2012(1) सी.डी.आर. पेज 1(एस.सी.), 2019(3) सी.जे.(सिविल)(एस.सी.)पेज 657, 2015(2)आर.आर.टी. पेज 1376, 2001 आर.आर.डी. पेज 336(एच.सी.), 2009 ए. आई.आर.(गुजरात) पेज 155, 2013 डी.एन.जे.(एस.सी.) पेज 513, 2000 डी.एन.जे. (एस.सी.) पेज 119 प्रस्तुत किये तथा न्यायिक दृष्टांत 1987 RRD 97 (H.C.), 1989 RRD 533, 1989 RRD 651, 1978 RRD 1 (L.B.), 2003 RRD 367, 2010 (1) RLW (RJ)568, 2002 DNJ (S.C.) 168, 2012 RRD 255, 2012 RRD 49, 2019 (1) RRT 184 (H.C.), 2016 (1) DNJ (Raj.) 205, AIR 1988 S.C. 1381, AIR 1990 Raj. 87, 2012 DNJ (S.C.) 943 उद्धृत किये। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस शामिल मिसल की गई। अन्त मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.04.2021 निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

16. रेस्पो० नं० 1 स्वर्गीय कन्हैयालाल के कायम मुकामान वगैरह के विद्वान अधिवक्ता श्री नरेन्द्र गुप्ता की ओर से अपील संख्या 2021/132 में दौराने बहस अपील मेमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपील से सम्बन्धित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी रेस्पो० नं० 1 कन्हैयालाल ने प्रतिवादीगण रेस्पो० नं० 2 लगायत 8 के विरूद्ध उप खण्ड अधिकारी कोटा के न्यायालय में दिनांक 14–5–2019 को हक घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती, बैदखली आराजी एवंम् स्थायी निषेधाज्ञा का दावा इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम बोरखण्डी तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 44 की 24 बीघा 9 बिस्वा एंवम् खसरा नम्बर 135 की 5 बीघा 1 बिस्वा जुमला 2 किता की 29 बीघा 10 बिस्वा आराजी स्थित थी । उपरोक्त आराजी में से खसरा नम्बर 44 की 24 बीघा 9 बिस्वा भूमि माफी पुण्यार्थ गयागुरू मोतीलाल बेटा रामलाल के खाते में दर्ज थी मोतीलाल जी उपरोक्त भूमि पर बहैसियत माफीदार काबिज थे। मोतीलाल जी के देहावसान के उपरान्त उक्त भूमि उनके पुत्र पन्नालाल जी के नाम दर्ज हुई थी । वादी रेस्पो० नं० 1 का बाद में यह भी कथन है कि वादी के पिता श्री पन्नालाल जी बवक्त रिजम्पशन माफी एवं राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 के प्रभावशील होने के समय उक्त भूमि पर काबिज थे भूमि उनके खुद काश्त में थी अतः वह इस भूमि के कानूनन खातेदार टीनेन्ट हो गये थे तथा पन्नालाल जी के देहावसान के पश्चात् वादी रेस्पो०नं० 1 कन्हैयालाल उक्त भूमि पर काबिज हो गया था। सेटलमेन्ट सम्वत् 2016 से 2024 में उपरोक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 30 रकबा 24 बीघा 9 बिस्वा कायम हुआ था। बाद में वादी का यह भी कथन है कि सेटलमेन्ट विभाग द्वारा उक्त भूमि गलत तोर पर प्रतिवादीगण रेस्पो० के पूर्वज नारायण पुत्र मोती जाति लश्करी निवासी नया नोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा के खाते दर्ज करदी। जिसका उसे कोई अधिकार नहीं था । भूप्रबन्ध विभाग ने बिना किसी अधिकार के यह भूमि सूरजमल, रामस्वरूप, बलराम पिसरान खेम चन्द जी लश्करी निवासी ग्राम नया नोहरा के खाते दर्ज करदी । वादी कन्हैयालाल का यह भी कथन था कि नारायण आत्मज मोती के दो पुत्र खेम चन्द व

रामलाल थे किन्तु उक्त भूमि भूप्रबन्ध विभाग द्वारा सर्वथा गलत एंवम् गैर कानूनी रूप से खेम चन्द के वारिसान के नाम दर्ज करदी। वर्तमान में उपरोक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 18 दक्षिण दिशा रकबा 3.40 हेक्टर प्रतिवादी नं० 1 लगायत 3 (रिस्पो० नं० 2 लगायत 4) श्रीमती जमना बाई, लाडकंवर, मोहनी बाई के नाम दर्ज करदी, तथा खसरा नम्बर 18/1 उत्तर दिशा रकबा 0.56 हेक्टर भूमि प्रतिवादी नं0 4 लगायत 6 (रेस्पो० न० 5 लगायत 7) श्रीमती रामनाथी, चेतन प्रकाश श्याम बाई के नाम दर्ज करदी जो वादी के हितों के विरूद्ध बेअसर है । वादी रेस्पो० नं० 1 कन्हैयालाल के पिता पन्नालाल अपने जीवनकाल तक उक्त भूमि को स्वयं काश्त करते थे तथा उनके देहावसान के उपरान्त वादी कन्हैयालाल उक्त भूमि को स्वयं काश्त करने लगा। कुछ समय वादी ने उक्त भूमि नारायण एंवम् उसके वारिसान को पांती व मुनाफे पर काश्त करवाई थी किन्तु अब प्रतिवादीण से वादी ने भूमि पर कब्जा छोडने एंव भूमि वादी को सुपुर्द करने को कहा तो प्रतिवादीगण इन्कार हो गये। प्रतिवादीगण का भूमि पर नाजायज कब्जा है अतः उन्हें वैदखल किया जाकर कब्जा वादी को सम्भलाया जावे तथा वादी को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया जावे। प्रतिवादीगण नम्बर 2 व 4 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद पत्र में अंकित तथ्यों से इन्कार किया तथा वादी रेस्पो० नं० 1 का उपरोक्त भूमि में कोई हक एंव अधिकार होने से इन्कार किया । उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा पारित अन्तिम निर्णय एवं डिक्री के आधार पर उपरोक्त भूमि प्रतिवादी नं0 2 लगायत 4 के खाते दर्ज होना चाहिये । बाद में प्रतिवादीगण ने इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया जो पत्रावली सलग्न है। वादी एंवम् प्रतिवादीगण ने दिनांक 20–2–2020 को राजीनामा प्रस्तुत किया । अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी द्वारा राजीनामा तस्दीक किया गया माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा उक्त प्रकरण उप खण्ड अधिकारी कोटा के न्यायालय से उपखण्ड अधिकारी तालेडा के न्यायालय में वास्ते सुनवायी एवं निस्तारण मुन्तकिल किया गया था। उपखण्ड अधिकारी तालेडा द्वारा दिनांक 20–4–2021 को दावा वादी सही रूप से नियमानुसार डिक्री फरमाया गया था। उक्त निर्णय व डिक्री की अप्रसन्नता से अपीलान्टान द्वारा सम्माननीय न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है। वादी रेस्पो० न० 1 द्वारा अपीलान्टान के विरूद्ध उक्त बाद में कोई अनुतोष नहीं चाहा गया अतः उन्हें उक्त बाद में पक्षकार नहीं बनाया गया था । उपरोक्त परिस्थितियों में अपीलान्टान को यह अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। किसी भी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्रकरण, वाद से संबंधित पक्षकारों के मध्य ही काबिल पाबन्दी होता है। तृतीय पक्ष पर उक्त निर्णय व डिक्री काबिल पाबन्दी नहीं है। वादी कन्हैयालाल गोलीवार के पिता पन्नालाल वक्त रिजम्पशन माफी एवं राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 के प्रभावशील होने के समय उपरोक्त भूमि पर बहैसियत माफीदार काबिज थे। उपरोक्त भूमि पन्नालाल के खुद काश्त में थी अतः पन्ना लाल जी उपरोक्त भूमि के कानूनन खातेदार टीनेन्ट हो गये थे। जागीर एक्ट 1952 की धारा 10 के अन्तर्गत बाद में पन्नालाल जी की मृत्यु हो जाने से वादी कन्हैयालाल कानूनन उपरोक्त भूमि का खातेदार टीनेन्ट हो गया था। नारायण उपरोक्त

भूमि पर बहैसियत टीनेन्ट कभी भी काबिज नहीं रहा । अतः उसे उपरोक्त भूमि पर कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। जेली कृषक नहीं है। जैली को Heritable and Transferable right नहीं है। उसे कानूनन खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । माननीय न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा स्थगित फरमा दिया गया था कोई स्थगन आदेश प्रभावशील नहीं होने से उपरोक्त भूमि रेस्पो० कन्हैयालाल के वारिसान के खाते सही रूप से नियमानुसार दर्ज की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की पालना हो चुकी है। जागीर कमिश्नर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में वादी कन्हैयालाल एवं उसके पिता पन्नालाल पक्षकार नहीं थे अतः जागीर कमिश्नर का निर्णय वादी रेस्पो0 पर काबिल पाबन्दी नहीं है यहां यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि अपीलान्टस् द्वारा जागीर कमिश्नर के निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अपील के साथ प्रस्तुत नहीं की गयी है। उक्त निर्णय में क्या फाईडिंग दी गयी यह स्पष्ट नहीं है। किसी भी न्यायालय द्वारा अपील विषयक आराजियात का नारायण को खातेदार घोषित नहीं किया गया है। नारायण के वारिसान सूरजमल वगैरह के खाते सम्वत् 2038 के लगभग हुये सेटलमेन्ट में सूरजमल वगैरा के खाते अवैधानिक रूप से दर्ज की गयी है। इंतकाल सं0 620 दिनांक 30–6–1956 के अवलोकन से यही स्पष्ट है कि उक्त भूमि से माफी रिज्यूम होने पर श्रीमान डिप्टी कलेक्टर जागीर द्वारा उक्त भूमि खालसा दर्ज की गयी है अर्थात् उक्त भूमि पर डिप्टी कलेक्टर जागीर द्वारा नारायण लश्करी को खातेदारी अधिकार नहीं दिये गये थे। इसके बाद कायम की गयी जमाबन्दी सम्वत् 2015 से 2018 में भी उक्त भूमि वादी कन्हैयालाल के पूर्वज मोतीलाल बेटा पन्नालाल की खातेदारी में दर्ज की गई थी। यानि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू के दिन व लागू होने के पश्चात् वादी कन्हैयालाल के पूर्वज पन्नालाल उक्त भूमि के खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड थे और तत्समय राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 लागू होने के पश्चात व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पश्चात् नारायण लश्करी को कानूनन किसी भी न्यायालय व सक्षम अधिकारिता ने उक्त भूमि का खातेदार नहीं माना था किन्तु फिर भी नारायण ने सेटलमेन्ट अधिकारियों व कर्मचारियों से मिली भगत कर सम्वत् 2016 से 2024 के सेटलमेन्ट के दोरान उक्त भूमि अपनी खातेदारी में गलत व गैरकानूनी रूप से दर्ज करवाई और सेटलमेन्ट विभाग की गलत व गैर कानूनी इन्द्राजात से नारायण को और उसके वारिसान को उक्त भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं तथा वादी द्वारा प्रस्तुत बाद में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री पूर्णतया कानून सम्मत व उचित है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी 2008 (1) पेज 151 में इसी आशय का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। कानूनन जैली, कृषक की श्रेणी में नहीं आता है। इसके अलावा अपीलान्ट द्वारा धारा 13 व धारा 16 के तहत स्वयं के पूर्वज नारायण को खातेदारी अधिकार अर्जित होना बताया है, यदि वास्तव में नारायण उक्त भूमि में खातेदारी अधिकारों की पात्रता रखता था तो उसके लिये प्रथक से वाद पेश कर स्वयं को खातेदार

घोषित करवाना आवश्यक था किन्तु नारायण द्वारा किसी न्यायालय से बाद पेश कर खातेदार घोषित नहीं करवाया गया है बल्कि सेटलमेन्ट से मिली भगत कर वादी की भूमि में गैरकानूनी रूप से नाम दर्ज करवाया गया है। इसके अलावा धारा 13 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत किसी जैली व सबटीनेन्ट को खातेदारी अधिकार प्राप्त नही होते है इसके अलावा धारा 15 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में भी सब टीनेन्ट को Exclude किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मोहनलाल बनाम स्टेट एण्ड अदर्स निर्णित दिनांक 3–8–2015 सिविल रिट पीटीशन नं0 284 / 1997 में इसी आशय का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। इसलिये अपीलान्ट की धारा 13 व धारा 15 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत नारायण को खातेदारी अधिकार प्राप्त होने का तर्क कानूनन ग्राह्य व उचित नहीं है और यह स्पष्ट है कि नारायण को वादी/रेस्पो० की भूमि में कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होते है और नारायण के नाम राजस्व रिकार्ड के इन्द्राजात गलत गैर कानूनी है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री पूर्णतया वैध व उचित है। इसके अलावा यहा यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त भूमि नारायण के पश्चात् रेस्पो० जमनाबाई, लाडकवर, मोहनी बाई, रामनाथी, श्यामा बाई, चेतन प्रकाश के खाते दर्ज हुई थी इसलिये वादी रेस्पो० द्वारा जमना बाई वगैरा को उचित रूप से पक्षकार बनाया गया है। नारायण के वारिमान के मध्य चले पूर्व वाद में उक्त भूमि सूरजमल वगैरा को नहीं दी गई इसलिये उन्हें पक्षकार बनाने की आवश्यकता ही नही थी। इसके अलावा वादी अपने वाद का मालिक (dominilitus) होता है और उसे किसी ऐसे व्यक्ति से लड़ने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता जिससे उसके द्वारा अनुतोष नहीं चाहिये। उक्त भूमि नारायण के वारिस जमना बाई, वगैरा की खातेदारी में दर्ज थी और उनके द्वारा वादी के पक्ष में राजीनामा प्रस्तुत कर दिया था। कानूनन न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1998 पेज 644 राजस्थान सरकार बनाम कान सिंह में यह निर्धारित किया गया हैं कि A Khatedar can transfer his khatedari Right on basis of Compromise जिसके कारण जमना बाई वगैरा द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर पारित उक्त निर्णय डिक्री पूर्णतया वैध है जिस पर अपीलांट को आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय वादी एवम् प्रतिवादीगण ने मय अधिवक्ता उपस्थित होकर पक्षकार के मध्य राजीनामा होना स्वीकार किया है। राजीनामा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक फरमाया गया तथा प्रतिवादीगण की स्वीकृति व सहमति के आधार पर एवं गुणावगुण पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा डिक्री किया गया है जो विधि सम्मत है। आदेश 12 नियम 6 व्यवहार प्रकिया संहिता एवं आदेश 15 नियम(1) व्यवहार प्रकिया संहिता में स्पष्ट प्रावधान है। विद्वान अधिवक्ता श्री नरेन्द्र गुप्ता द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई जो शामिल मिसल की गई। अपनी बहस के समर्थन मे अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/5 की ओर से न्यायिक दृष्टांत (1) 1998 आर.बी.जे. 615 (2) 2001 RLW (S.C.)89 उद्धृत किया C.P.C. O12R6-इस प्रकार है– Judgement on admissions where a claim in admitted the court has jurisdiction to enter judgment for

the plantiff and to pass a decree on addmitted claim object of the rule in to provide speedly judgment to the extent of relief to which according to the admission of the defendant the planitiff entitled. - (3)2013 (I) RRT 188 (4) 2013 (2)DNJ S.C. 561 (5) 2004 RBJ S.C.299 (6) 2012 (3) DNJ S.C. 943 (7) 1994 RRD (H.C.) 1 (8) 2019 (I) DNJ S.C. 131(9) 2008 (I) RRT 151 (H.C.) (10)2001 (I) RRT 244 H.C. (11) 1990 RRD 107, (12)छाया प्रति निर्णय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बैंक मोहनलाल एंव अन्य बनाम स्टेट एवं अन्य,C.W.P.284/1997 Dt.-3.8.2015 (13)-1998 RRD-644 प्रस्तुत किये । जहां तक अधीनस्थ न्यायालय में दस्तावेजों पर प्रदर्श नहीं डालने का प्रश्न है तो ये दस्तावेज पब्लिक डाक्यूमैंट है, अतः यह आवश्यक नहीं कि प्रदर्श डाली ही जाए। इस सम्बंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 77 में प्रावधान है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा कथन किया गया लिमिटेशन का प्रश्न यहाँ लागू नहीं होता। हमारा वाद घोषणा का था तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में घोषणा के वाद के सम्बंध में मियाद नहीं होती है। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस शामिल मिसल की गई। अन्त में अपीलान्टगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

17. रेस्पो० नं० 1 स्वर्गीय कन्हैयालाल के कायम मुकामान वगैरह के विद्वान अधिवक्ता श्री नरेन्द्र गुप्ता की ओर से अपील संख्या 2021/133(नवीन नम्बर 2022/274) ने अपील मेमों में अंकित कथनो का दोहराया तथा बहस में आगे कथन किया कि अपील से सम्बन्धित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी रेस्पो० नं० 1 कन्हैयालाल ने प्रतिवादीगण रेस्पो० नं० 2 लगायत 8 के विरूद्ध उप खण्ड अधिकारी कोटा के न्यायालय में दिनांक 14–5–2019 को हक घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती, बैदखली आराजी एवंम् स्थायी निषेधाज्ञा का दावा इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम बोरखण्डी तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 44 की 24 बीघा 9 बिस्वा एंवम् खसरा नम्बर 135 की 5 बीघा 1 बिस्वा जुमला 2 किता की 29 बीघा 10 बिस्वा आराजी स्थित थी । उपरोक्त आराजी में से खसरा नम्बर 44 की 24 बीघा 9 बिस्वा भूमि माफी पुण्यार्थ गयागुरू मोतीलाल बेटा रामलाल के खाते में दर्ज थी मोतीलाल जी उपरोक्त भूमि पर बहैसियत माफीदार काबिज थे। मोतीलाल जी के देहावसान के उपरान्त उक्त भूमि उनके पुत्र पन्नालाल जी के नाम दर्ज हुई थी । वादी रेस्पो० नं० 1 का वाद में यह भी कथन है कि वादी के पिता श्री पन्नालाल जी बवक्त रिजम्पशन माफी एवं राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 के प्रभावशील होने के समय उक्त भूमि पर काबिज थे भूमि उनके खुद काश्त में थी अतः वह इस भूमि के कानूनन खातेदार टीनेन्ट हो गये थे तथा पन्नालाल जी के देहावसान के पश्चात् वादी रेस्पो०नं० 1 कन्हैयालाल उक्त भूमि पर काबिज हो गया था। सेटलमेन्ट सम्वत् 2016 से 2024 में उपरोक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 30 रकबा 24 बीघा 9 बिस्वा कायम हुआ था। वाद में वादी का यह भी कथन है कि सेटलमेन्ट विभाग द्वारा

उक्त भूमि गलत तोर पर प्रतिवादीगण रेस्पो० के पूर्वज नारायण पुत्र मोती जाति लश्करी निवासी नया नोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा के खाते दर्ज करदी। जिसका उसे कोई अधिकार नहीं था । भूप्रबन्ध विभाग ने बिना किसी अधिकार के यह भूमि सूरजमल, रामस्वरूप, बलराम पिसरान खेम चन्द जी लश्करी निवासी ग्राम नया नोहरा के खाते दर्ज करदी । वादी कन्हैयालाल का यह भी कथन था कि नारायण आत्मज मोती के दो पुत्र खेम चन्द व रामलाल थे किन्तु उक्त भूमि भूप्रबन्ध विभाग द्वारा सर्वथा गलत एंवम् गैर कानूनी रूप से खेम चन्द के वारिसान के नाम दर्ज करदी। वर्तमान में उपरोक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 18 दक्षिण दिशा रकबा 3.40 हेक्टर प्रतिवादी नं० 1 लगायत 3 (रेस्पो० नं० 2 लगायत 4) श्रीमती जमना बाई, लाडकंवर, मोहनी बाई के नाम दर्ज करदी, तथा खसरा नम्बर 18/1 उत्तर दिशा रकबा 0.56 हेक्टर भूमि प्रतिवादी नं0 4 लगायत 6 (रेस्पो० न० 5 लगायत 7) श्रीमती रामनाथी, चेतन प्रकाश श्याम बाई के नाम दर्ज करदी जो वादी के हितों के विरूद्ध बेअसर है । वादी रेस्पो० नं० 1 कन्हैयालाल के पिता पन्नालाल अपने जीवनकाल तक उक्त भूमि को स्वयं काश्त करते थे तथा उनके देहावसान के उपरान्त वादी कन्हैयालाल उक्त भूमि को स्वयं काश्त करने लगा। कुछ समय वादी ने उक्त भूमि नारायण एंवम् उसके वारिसान को पांती व मुनाफे पर काश्त करवाई थी किन्तु अब प्रतिवादीण से वादी ने भूमि पर कब्जा छोडने एंव भूमि वादी को सुपुर्द करने को कहा तो प्रतिवादीगण इन्कार हो गये। प्रतिवादीगण का भूमि पर नाजायज कब्जा है अतः उन्हें वैदखल किया जाकर कब्जा वादी कोसम्भलाया जावे तथा यादी को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया जावे। प्रतिवादीगण नम्बर 2 व 4 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद पत्र में अंकित तथ्यों से इन्कार किया तथा वादी रेस्पो० नं० 1 का उपरोक्त भूमि में कोई हक एंव अधिकार होने से इन्कार किया । उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा पारित अन्तिम निर्णय एवं डिक्री के आधार पर उपरोक्त भूमि प्रतिवादी नं0 2 लगायत 4 के खाते दर्ज होना चाहिये । बाद में प्रतिवादीगण ने इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया जो पत्रावली सलग्न है। वादी एंवम् प्रतिवादीगण ने दिनांक 20–2–2020 को राजीनामा प्रस्तुत किया । अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी द्वारा राजीनामा तस्दीक किया गया माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा उक्त प्रकरण उप खण्ड अधिकारी कोटा के न्यायालय से उपखण्ड अधिकारी तालेडा के न्यायालय में वास्ते सुनवायी एवं निस्तारण मुन्तकिल किया गया था। उपखण्ड अधिकारी तालेडा द्वारा दिनांक 20–4–2021 को दावा वादी सही रूप से नियमानुसार डिक्री फरमाया गया था। उक्त निर्णय व डिक्री की अप्रसन्नता से अपीलान्टान द्वारा सम्माननीय न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है। वादी रेस्पो० न० 1 द्वारा अपीलान्टान के विरूद्ध उक्त बाद में कोई अनुतोष नहीं चाहा गया अतः उन्हें उक्त बाद में पक्षकार नहीं बनाया गया था । उपरोक्त परिस्थितियों में अपीलान्टान को यह अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। किसी भी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्रकरण, वाद से संबंधित पक्षकारों के मध्य ही काबिल पाबन्दी होता है। तृतीय पक्ष पर उक्त निर्णय व डिक्री काबिल पाबन्दी नहीं है। वादी कन्हैयालाल गोलीवार के पिता पन्नालाल वक्त

रिजम्पशन माफी एवं राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 के प्रभावशील होने के समय उपरोक्त भूमि पर बहैसियत माफीदार काबिज थे। उपरोक्त भूमि पन्नालाल के खुद काश्त में थी अतः पन्ना लाल जी उपरोक्त भूमि के कानूनन खातेदार टीनेन्ट हो गये थे। जागीर एक्ट 1952 की धारा 10 के अन्तर्गत बाद में पन्नालाल जी की मृत्यु हो जाने से बादी कन्हैयालाल कानूनन उपरोक्त भूमि का खातेदार टीनेन्ट हो गया था। नारायण उपरोक्त भूमि पर बहैसियत टीनेन्ट कभी भी काबिज नहीं रहा । अतः उसे उपरोक्त भूमि पर कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। जेली कृषक नहीं है। जैली को Heritable and Transferable right नहीं है। उसे कानूनन खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । माननीय न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा स्थगित फरमा दिया गया था कोई स्थगन आदेश प्रभावशील नहीं होने से उपरोक्त भूमि रेस्पो० कन्हैयालाल के वारिसान के खाते सही रूप से नियमानुसार दर्ज की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की पालना हो चुकी है। जागीर कमिश्नर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में वादी कन्हैयालाल एवं उसके पिता पन्नालाल पक्षकार नहीं थे अतः जागीर कमिश्नर का निर्णय वादी रेस्पो० पर काबिल पाबन्दी नहीं है यहां यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि अपीलान्टस् द्वारा जागीर कमिश्नर के निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अपील के साथ प्रस्तुत नहीं की गयी है। उक्त निर्णय में क्या फाईंडिंग दी गयी यह स्पष्ट नहीं है। किसी भी न्यायालय द्वारा अपील विषयक आराजियात का नारायण को खातेदार घोषित नहीं किया गया है। नारायण के वारिसान सूरजमल वगैरह के खाते सम्वत् 2038 के लगभग हुये सेटलमेन्ट में सूरजमल वगैरा के खाते अवैधानिक रूप से दर्ज की गयी है। इंतकाल सं0 620 दिनांक 30–6–1956 के अवलोकन से यही स्पष्ट है कि उक्त भूमि से माफी रिज्यूम होने पर श्रीमान डिप्टी कलेक्टर जागीर द्वारा उक्त भूमि खालसा दर्ज की गयी है अर्थात् उक्त भूमि पर डिप्टी कलेक्टर जागीर द्वारा नारायण लश्करी को खातेदारी अधिकार नहीं दिये गये थे। इसके बाद कायम की गयी जमाबन्दी सम्वत् 2015 से 2018 में भी उक्त भूमि वादी कन्हैयालाल के पूर्वज मोतीलाल बेटा पन्नालाल की खातेदारी में दर्ज की गई थी। यानि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू के दिन व लागू होने के पश्चात् वादी कन्हैयालाल के पूर्वज पन्नालाल उक्त भूमि के खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड थे और तत्समय राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 लागू होने के पश्चात व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पश्चात् नारायण लश्करी को कानूनन किसी भी न्यायालय व सक्षम अधिकारिता ने उक्त भूमि का खातेदार नहीं माना था किन्तु फिर भी नारायण ने सेटलमेन्ट अधिकारियों व कर्मचारियों से मिली भगत कर सम्वत् 2016 से 2024 के सेटलमेन्ट के दोरान उक्त भूमि अपनी खातेदारी में गलत व गैरकानूनी रूप से दर्ज करवाई और सेटलमेन्ट विभाग की गलत व गैर कानूनी इन्द्राजात से नारायण को और उसके वारिसान को उक्त भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं तथा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री पूर्णतया कानून सम्मत व उचित है। माननीय राजस्थान उच्च

न्यायालय द्वारा भी न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी 2008 (1) पेज 151 में इसी आशय का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। कानूनन जैली, कृषक की श्रेणी में नहीं आता है। इसके अलावा अपीलान्ट द्वारा धारा 13 व धारा 16 के तहत स्वयं के पूर्वज नारायण को खातेदारी अधिकार अर्जित होना बताया है, यदि वास्तव में नारायण उक्त भूमि में खातेदारी अधिकारों की पात्रता रखता था तो उसके लिये पृथक से वाद पेश कर स्वयं को खातेदार घोषित करवाना आवश्यक था किन्तु नारायण द्वारा किसी न्यायालय से बाद पेश कर खातेदार घोषित नहीं करवाया गया है बल्कि सेटलमेन्ट से मिली भगत कर वादी की भूमि में गैरकानूनी रूप से नाम दर्ज करवाया गया है। इसके अलावा धारा 13 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत किसी जैली व सबटीनेन्ट को खातेदारी अधिकार प्राप्त नही होते है इसके अलावा धारा 15 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में भी सब टीनेन्ट को Exclude किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मोहनलाल बनाम स्टेट एण्ड अदर्स निर्णित दिनांक 3–8–2015 सिविल रिट पीटीशन नं0 284 / 1997 में इसी आशय का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। इसलिये अपीलान्ट की धारा 13 व धारा 15 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत नारायण को खातेदारी अधिकार प्राप्त होने का तर्क कानूनन ग्राह्य व उचित नहीं है और यह स्पष्ट है कि नारायण को वादी/रेस्पो० की भूमि में कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होते है और नारायण के नाम राजस्व रिकार्ड के इन्द्राजात गलत गैर कानूनी है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री पूर्ण तया वेध व उचित है। अधीनस्थ न्यायालय में वादी एवम् प्रतिवादीगण ने मय अधिवक्ता उपस्थित होकर पक्षकार के मध्य राजीनामा होना स्वीकार किया है। राजीनामा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक फरमाया गया तथा प्रतिवादीगण की स्वीकृति व सहमति के आधार पर एवं गुणावगुण पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा डिकी किया गया है जो विधि सम्मत है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर सूरजमल वगैरा–बनाम–जमना बाई, रामनाथी वगैरह की अपील में दिनांक 29.06.2010 को स्थगन आदेश पारित कर राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय दिनांक 07.06.2010 की पालना स्थगित फरमाया गया था। बावजूद स्थगन आदेश के जमना बाई वगैरा द्वारा खसरा नम्बर 18 की रकबा 3.40 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम बोरखण्डी तहसील लाडपुरा जिला कोटा महेश गुप्ता वगैरा को जरिये पंजीकृत विकय–पत्र दिनांक 01.07.2010 को बेचान की गई है। उक्त बेचान के बावजूद स्थगन आदेश किये जाने से सर्वथा अवैध एवं प्रभावशून्य है जिससे अपीलांटगण महेश गुप्ता वगैरह को कोई हक हकूक प्राप्त नहीं होते है। अपीलांटगण का अपील विषयक भूमि पर कब्जा नहीं है। अपील संख्या 2021/132 के अधिवक्ता अपीलांट ने कथन किया है कि विकेता अनुसूचित जाति से सम्बंधित है, अतः अपीलांटगण महेश गुप्ता वगैरह के पक्ष में किया गया विकय तो नल एण्ड वाइड है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–42 से प्रभावित है। इस संबंध में लिखित बहस के साथ नजीरें प्रस्तुत की गई है। आदेश 12 नियम 6 व्यवहार प्रकिया संहिता एवं आदेश 15 नियम(1) व्यवहार प्रकिया संहिता में स्पष्ट प्रावधान है। विद्वान अधिवक्ता श्री नरेन्द्र गुप्ता द्वारा लिखित बहस भी

प्रस्तुत की गई जो शामिल मिसल की गई। अपनी बहस के समर्थन मे अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/5 की ओर से न्यायिक दृष्टांत (1) 1998 आर.बी.जे. 615 (2) 2001 RLW (S.C.)89 उद्धृत किया C.P.C. O12R6- को उद्धृत करते हुए कहा कि– judgement on admissions where a claim in admitted the court has jurisdiction to enter judgment for the plantiff and to pass a decree on addmitted claim object of the rule in to provide speedly judgment to the extent of relief to which according to the admission of the defendant the planitiff entitled. -(3)2013 (i) RRT 188 (4) 2013 (2)DNJ S.C. 561 (5) 2004 RBJ S.C. 299 (6) 2012 (3) DNJ S.C. 943 (7) 1994 RRD (H.C.) 1 (8) 2019 (i) DNJ S.C. 131 (9) 2008 (i) RRT 151 (H.C.) (10)2001 (i) RRT 244 H.C. (11) 1990 RRD 107, (12)छाया प्रति निर्णय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बैंक मोहनलाल एंव अन्य बनाम स्टेट एवं अन्य,C.W.P.284/1997 Dt.- 3.8.2015 प्रस्तुत किये। जहां तक अधीनस्थ न्यायालय में दस्तावेजों पर प्रदर्श नहीं डालने का प्रश्न है तो ये दस्तावेज पब्लिक डाक्यूमैंट है, अतः यह आवश्यक नहीं कि प्रदर्श डाली ही जाए। इस सम्बंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 77 में प्रावधान है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा कथन किया गया लिमिटेशन का प्रश्न यहाँ लागू नहीं होता। हमारा वाद घोषणा का था तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में घोषणा के वाद के सम्बंध में मियाद नहीं होती है। अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई जो शामिल मिसल की गई। अन्त में न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत दोनो अपीलें सारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया।

18. अपील संख्या 2021/132 के विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4/अपील संख्या 2021/133 के अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 4 श्री रविन्द्र खण्डेलवाल ने दोनो अपीलों (अपील संख्या 2021/132 व अपील संख्या 2021/133 नवीन नम्बर 2022/274) में अपनी बहस एक–साथ प्रस्तुत की। अधिवक्ता अपीलांट ने कथन किया कि हमने महेश गुप्ता को कभी सेल–डीड नहीं की। ये विकय–पत्र बजरंगलाल बोहरा ने करवाई। हमने कभी व्यक्तिगत रूप से विकय–पत्र पंजीकृत नहीं करवाया। ये जो पावर–ऑफ–अटार्नी है, यह सही नहीं है। पंजीकृत विकय–पत्र पर स्वयं उपपंजीयक ने नियम 39 का नोट भी लगाया है। अर्थात जिस दिन विकय–पत्र हुआ उस दिन निषेधाज्ञा जारी थी। यह कॉन्ट्रेक्ट एक्ट के भी विरूद्ध है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई निर्णयों में माना है कि इस तरह का विकय प्रारंभ से ही शून्य है। कान्ट्रेक्ट एक्ट की धारा 23 के अनुसार यह विकय पत्र अब इनिशियों वोइड है। अतः जब ये विकय–पत्र ही सही नहीं है तो खातेदार हम है। सूरजमल वगैरह के अधिवक्ता ने बहस में हमारी जाति चमार बताई गई तो भी यह विकय पत्र नल एण्ड वोइड है। यह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा

42 का उल्लंघन हो गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण की ओर से अपील संख्या 2021/133(नवीन नम्बर 2022/274) का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी. सी. अस्वीकार किया तथा इन्हें प्रश्नगत प्रकरण में उचित एवं आवश्यक पक्षकार नहीं माना। तथ्यों एवं विधि से ही स्पष्ट है कि हस्तगत दोनो अपील प्रथम दृष्ट्या ही पोषणीय नहीं है। दोनो का कोई पुख्ता आधार नहीं है। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि पहले जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद का डिनायल कर अस्वीकार का कथन किया फिर वाद को स्वीकार कर लिया। सी.पी.सी. का आदेश 16 नियम 6, आदेश 15 नियम 1 व आदेश 23 मे स्पष्ट प्रावधान है कि हम राजीनामा कभी भी कर सकते है। ये राजीनामा को आक्षेपित नहीं कर सकते। विद्वान अधिवक्ता श्री रविन्द्र खण्डेलवाल ने बहस में आगे कथन किया कि इंतकाल संख्या 265 से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि जागीर भूमि है, और इसके जागीरदार है मोतीलाल बेटा पन्नालाल। दस्तावेजों से स्पष्ट है कि वादी के पूर्वज इसके खुदकाश्त थे। राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 24 के तहत जैली कोई टीनैन्ट की परिभाषा में नहीं आता। राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 में शब्द है **every tenant** अतः टीनैन्ट ही जागीर भूमि का खातेदार है। यहां सब–टिनैन्ट का तो कोई नाम ही नहीं है। ये टिनैन्ट नहीं है, इनका तो क्लेम ही जैली का है। अतः इस धारा 9 के आधार पर अपीलांट का कोई हक, अधिकार नहीं बनता है। राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 2(पी) में सब–टिनेन्ट का अर्थ है जो जागीरदार के टिनैन्ट से भूमि धारण करता हो, यानि जागीरदार से टिनैन्ट के पास फिर से इनके पास भूमि जाए। यहां पर मेरे व इन अपीलांट के बीच तो कोई टिनैन्ट ही नहीं है। अतः इनका ये तर्क भी कोई मायने नहीं रखता कि वे सब–टिनैन्ट थे, वस्तुतः जैली सब–टिनैन्ट होता ही नहीं है। इसी एक्ट की धारा 2(क्यू) में टिनैन्ट की परिभाषा है। प्रश्नगत भूमि हमारे पूर्वजों के समय से ही ओक्यूपाइड खुदकाश्त की भूमि है। राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 10 व 11 स्थिति को स्पष्ट करती है। अधिवक्ता अपीलांट(अपील संख्या 2021/132) की पूरी बहस इंतकाल नम्बर 620 पर रही, इसमें भूमि खालसा भी दर्ज हुई है तो(हालांकि ऐसा कोई आदेश इन्होने प्रस्तुत नहीं किया) परन्तु नारायण को खातेदारी अधिकार कैसे मिले? इन्हे खातेदारी अधिकार मिल ही नहीं सकते। यदि इनके तर्क माने भी जाएं तो नारायण का नाम तो रिकॉर्ड में सम्वत् 2016 से 2024 की सैटलमेंट द्वारा तैयार रिकॉर्ड में सैटलमेंट अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा दर्ज किया गया। यहॉ मूल प्रश्न है कि क्या सैटलमेंट अधिकारियों/कर्मचारियों को यह अधिकार था? सैटलमेंट स्वयं के स्तर पर कोई प्रविष्टि नहीं बदल सकता तथा यह तथ्य है कि नारायण का नाम सैटलमेंट ऑपरेशन सम्वत् 2016 से 2024 के दौरान सैटलमेंट ने दर्ज किया। विधिक रूप से सैटलमेंट कार्मिक यह नहीं कर सकते। अपीलांट का यह तर्क गलत है कि जागीर कलक्टर ने भूमि खालसा दर्ज की तथा फिर उनके नाम आई। जब जागीर कलेक्टर का आपके पक्ष में ऐसा कोई

आदेश ही नहीं है तो हम उसे क्या आक्षेपित करे। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकार दिए है तो यहां राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 46 लागू नहीं होती। विचारण न्यायालय ने आदेश 12 नियम 6 सी.पी.सी. के साथ–साथ गुणावगुण पर प्रकरण को देखा है। जब प्रतिवादी की स्वीकारोक्ति थी तो तनकी बनाने का औचित्य नहीं था। विचारण न्यायालय ने माना कि पन्नालाल जागीरदार था तथा प्रश्नगत भूमि उसकी खुदकाश्त की भूमि थी । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण की स्वीकारोक्ति को सही माना परन्तु साथ ही राजीनामा को मेरिट पर देखकर निर्णय व डिक्री पारित की। भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 9 यहां इनके पक्ष में कैसे लागू होगी? इनका तो नाम ही सम्वत् 2016 से 2024 के सैटलमेंट के दौरान रिकॉर्ड में आया है। अन्त मे दोनो अपील अपीलांट खारिज किये जाने का निवेदन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.04.2021 को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

19. अपील संख्या 2021/132 के रेस्पोडेन्ट संख्या 5 से 7 के विद्वान अधिवक्ता श्री सी.पी. खण्डेलवाल ने बहस करते हुए कथन किया कि हम रामलाल के वारिस है। रामनाथी, चेतन प्रकाश, श्यामबाई वगैरह अधीनस्थ न्यायालय मे पक्षकार थे। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित किया है। दोनो अपीलें खारिज किये जाने योग्य है।

20. अपील संख्या 2021/132 व अपील संख्या 2021/133 के विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 9 से 10 श्री विद्याशंकर ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने राजीनामा के आधार पर निर्णय व डिक्री दिनांक 20.04.2021 को पारित की है। उक्त दोनो अपील पोषणीय ही नही है। हमने पंजीकृत दस्तावेज के द्वारा भूमि खरीदी है। हमारा कय टी.पी.एक्ट की धारा 52 या लिसपेंडेंस मे प्रभावित नहीं है। जब तक सिविल न्यायालय से रजिस्टर्ड विकय–पत्र कैंसिल नहीं होता तब तक अपीलांट के कथन का कोई अर्थ नहीं है, ये सिविल कोर्ट जाएं। चूंकि हम हितबद्ध थे इसलिए हम पक्षकार बनें। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 20.04.2021 विधि सम्मत है। अपनी बहस के समर्थन मे अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 9 व 10 ने न्यायिक दृष्टांत ए.आई.आर. 1995 राजस्थान पेज 94, ए.आई.आर. 2006 माननीय उच्चतम न्यायालय पेज 68 प्रस्तुत किए। अन्त मे दोनो अपील अपीलांट खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.04.2021 को बहाल रखे जाने का निवेदन किया।

21. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 9 श्री संजय पटौदी ने बहस करते हुए कथन किया कि हम बोनाफाइड केता है। हमने नियमानुसार भूमि कय की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/5 की बहस का समर्थन किया। अन्त में दोनो अपीलें खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.04.2021 को बहाल रखे जाने का निवेदन किया।

22. अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण की बहस के रिबटल में अपील संख्या 2021/133(नवीन नम्बर 2022/274) के विद्वान अधिवक्ता अपीलांट श्री बृजमोहन मालव ने निवेदन किया कि हमें अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार तक नहीं बनाया जबकि हम भी सद्भावी केता है। जब अधीनस्थ न्यायालय के प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट अपना हक अधिकार हमें विक्रय कर चुके तो ये आगे कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। ये इस विक्रय पत्र दिनांक 01.07.2010 से एस्टोप्ड है । प्रश्नगत भूमि का पंजीकृत विक्रय करते ही इनके हक अधिकार उस भूमि से समाप्त हो गए। प्रतिवादीगण को राजीनामा करने का कोई हक अधिकार शेष ही नहीं बचा था, तो ये राजीनामा कर ही नहीं सकते। इस प्रकार मिलिभगत कर न्यायिक प्रकिया को दूषित कर डिक्री प्राप्त करना फ्रोड की श्रेणी में आता है। इस वाद मे स्पष्टतः फॉड हुआ है तथा फॉड दिखता भी है। कोई भी राजस्व न्यायालय फ्रोड होता हुआ कैसे देख सकता है? अधीनस्थ न्यायालय ने ना तो विधिक प्रकिया की पालना की तथा न ही तथ्यों को समझा और देखा। अधीनस्थ न्यायालय ने नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों की भी पालना नहीं की। अन्त में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.04.2021 को खारिज किये जाने व अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

23. अपील संख्या 2021/132 के विद्वान अधिवक्ता अपीलांट श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी ने रेस्पोडेन्ट की बहस के रिबटल में बहस में कथन किया कि अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने शायद इसी न्यायालय का आदेश दिनांक 28.07.2021 नहीं देखा । हमें हितबद्ध मानते हुए इस न्यायालय द्वारा हमारा धारा 96 स्वीकार किया जा चुका है। अतः इनका तर्क ही गलत है कि हमारा धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।यह न्यायालय स्वयं के आदेश 28.07.2021 में मान चुका है कि हम नारायण के वारिसान है। इस आदेश को चुनौती भी नहीं दी गई है। हमनें अपील के बिन्दु संख्या 5 में दोनो बातें कही है। हम नारायण के प्राकृतिक वारिसान है तो हमें सुना तो जायेगा ही। इनका कहना कि राजीनामा की अपील नहीं होती, तो हम तो राजीनामा व अधीनस्थ न्यायालय मे पक्षकार ही नहीं थे। अतः हम इसे चुनौती देने का विधिक हक रखते है। भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा2(आई.) व धारा 2(के.) को उद्धृत किया। सन् 1994 आर.आर.डी. पेज 1 इस प्रकरण पर लागू नहीं होगा। इस संबंध में आर.आर.डी. 2003 पेज 367 को उद्धृत किया तथा इसमें आर.आर.डी. 1994 डिस्टिंग्युश किया गया है। सब–टिनैन्ट को हैरिटेबल राईट्स है परन्तु व विक्रय व अन्तरण का अधिकार नहीं है। इस प्रकरण में काश्त जैली है। हम जैली काश्तकार थे। कोटा स्टेट मे सर्कुलर नम्बर 3 की धारा 69 में जैली काश्तकार की स्पष्ट परिभाषा है, जो कि हम जैली काश्तकार के रूप में सब–टिनैन्ट भी हो गए तो भी हमें स्वतः हमें खातेदारी मिलती है। कोटा स्टेट सर्कुलर नम्बर 3 अनुसार जैली के रूप में हमारे हक–अधिकार है। इनका तर्क माने भी तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रकाश मे ये टिनैन्ट हो गये तो इन्होने विधि अनुसार मुझे भूमि सब–लेट कर रखी थी। अतः मै एक टिनैन्ट हो गया । ये अगर

खुदकाश्त थे तो राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 14 के प्रकाश में ये भूमि का खुदकाश्त घोषित करवाते। नारायण जैली के रूप मे उपकृषक भी था, अतः वह स्वतः खातेदार बन गया। इस संबंध मे विद्वान अधिवक्ता ने आर.आर.डी. 1987 पेज 97 माननीय उच्च न्यायालय तथा आर.आर.डी. 1989 पेज 533 को उद्धृत किया। रिबटल में आगे अधिवक्ता अपीलांट अपील संख्या 2021/132 ने कथन किया कि चूंकि मैं सब–टिनैन्ट था तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 से मैं टीनैन्ट हो जाऊंगा। धारा–19ए को उद्धृत करते हुए कथन किया कि इन्होने मुझे लंबे समय तक बेदखली की कार्यवाही नहीं की तो, चूंकि मै सब–टिनैन्ट था तो स्वतः खातेदार बन गया। न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 1987 में जैली को सब–टिनैन्ट माना है। सी.पी. सी. आदेश 18 निमय 4 में संशोधन हुआ है कि एडमिशन इन चीफ को एफिडेविट के रूप मे दे सकते है परन्तु इनके एफिडेविट पर न तो कोई कॉस एक्जामिनेशन हुआ तथा न ही पीठासीन अधिकारी ने नियमानुसार हस्ताक्षर अंकित किये। इन पर स्वयं पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होने आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय मे किसी दस्तावेज को प्रदर्शित नहीं करवाया गया । किसी दस्तावेज पर प्रदर्श अंकित नहीं है। इस संबंध मे उन्होने न्यायिक दृष्टांत ए.आई.आर. 1988 एस.सी. पेज 1381 माननीय उच्चतम न्यायालय तथा ए.आई.आर. 1990 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पेज 87 को उद्धृत किया। इनका कथन है कि विल फर्जी है, तो ये सिविल कोर्ट जाकर इस विल को कैंसिल करवायें। राजस्व न्यायालय वसीयत/विल की वैधता का परीक्षण नहीं कर सकते। इस संबंध मे न्यायिक दृष्टांत 2019(1) आर.आर.टी. पेज 184 को उद्धृत किया। महेश गुप्ता वगैरह का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज किया। इनके कय करने को असद्भाविक कहा, क्योंकि माननीय राजस्व मण्डल से स्थगन था, तो क्या अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री इस स्थगन से प्रभावित नहीं है? यह स्पष्ट विरोधाभास है। माननीय राजस्व मण्डल में प्राथमिक डिक्री में आज भी स्थगन है। अपनी बहस के समर्थन मे अधिवक्ता अपीलांट की ओर से न्यायिक दृष्टांत 1987 आर. आर.डी. पेज 97(एच.सी.), 1989 आर.आर.डी. पजे 533, 1989 आर.आर.डी. पेज 651, 1987 आर.आर.डी. पेज 1(एल.बी.), 2003 आर.आर.डी. पेज 367, 2010(1) आर.एल.डब्ल्यु.(आर.जे.), 2002 डी.एन.जे.(एस.सी.) पेज 168, 2012 डी.एन.जे.(एस.सी.) पेज 168, 2012 आर.आर. डी. पेज 255, 2012 आर.आर.डी. पेज 49, 2019(1) आर.आर.टी. पेज 184(एच.सी.), 2016(1) डी.एन.जे.(राज.) पेज 05, ए.आई.आर. 1988 एस.सी. पेज 1381, ए.आई.आर. 1990 राज. पेज 87, 2012 डी.एन.जे.(एस.सी.) पेज 943 प्रस्तुत किये। अन्त मे अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 20.04.2021 को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

24. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय एवं न्यायालय

हाजा की पत्रावली व संलग्न रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। रिकॉर्ड के रूप में संलग्न फोटोप्रति प्रमाणित जमाबंदी सम्वत् 2011 से 2014 के कॉलम संख्या 4 में माफी पुन्यार्थ गया गुरू पन्नालाल बेटा मोतीलाल का जात ब्राह्मण वास कोटा गन्दी जी पुल के नाम दर्ज है। पत्रावली में संलग्न फोटोप्रति प्रमाणित जमाबंदी सम्वत् 2015 से 2018 में पन्नालाल बेटा मोतीलाल का जात ब्राह्मण वास कोटा गन्दी जी पुल अंकित है तथा इसमें इ.न. 265 अंकित है इसी जमाबंदी के अगले कॉलम में डिप्टी रजिस्ट्रार जागीर कोटा के आदेश 333 तारीख 08.02.1954 माफी पन्नालाल रिज्युम होना अंकित है तथा इस पर आगे इ.न. 620 का अंकन है। संलग्न प्रमाणित प्रति पंजीकृत विक्रय–पत्र 01.07. 2010 के अनुसार जमनाबाई बेवा रामलाल व लाडकंवर, मोहनीबाई पुत्रियां रामलाल द्वारा खसरा नम्बर 18(दक्षिण) रकबा 3.40 हैक्टेयर भूमि ग्राम बोरखंडी केता महेश गुप्ता, नरेश गुप्ता व परमानन्द बोहरा को बेचान किया गया है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 खसरा नम्बर 18(दक्षिण) रकबा 3.40 हैक्टेयर जमनाबाई बेवा रामलाल, लाडकंवर मोहनीबाई पुत्रियां रामलाल जाति लश्करी सा. नयानोहरा हि.ब. तथा रिकॉर्ड की यथास्थिति हेतु राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर का स्थगन आदेश अंकित है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2061 से 2064 खसरा नम्बर 18 की कुल 3.96 हैक्टेयर भूमि सूरजमल, रामस्वरूप बलराम पिसरान खेमचन्द की खातेदारी मे दर्ज रिकॉर्ड है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2065 से 2068 खसरा नम्बर 18 की कुल 3.96 हैक्टेयर भूमि सूरजमल, रामस्वरूप बलराम पिसरान खेमचन्द की खातेदारी मे दर्ज रिकॉर्ड है। नकल नामान्तरकरण संख्या 265 दिनांक 29.09.1939 संलग्न है जिसमें पन्नालाल वल्द मोतीलाल ब्राहम्ण के नाम अमल किये जाने का आदेश अंकित है। संलग्न मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2016 से 2024 के अनुसार गत खसरा नम्बर 44 रकबा 24 बीघा 9 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 30 रकबा 24 बीघा 9 बिस्वा बने है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2023 से 2026 खसरा नम्बर 30 रकबा 24 बीघा 9 बिस्वा भूमि नारायण वल्द मोती का जाति लश्करी वास नयानोहरा के नाम खाते दर्ज है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2027–30 खसरा नम्बर 30 रकबा 24 बीघा 9 बिस्वा भूमि नारायण बेटा मोती कौम लश्करी के नाम खाते दर्ज है। संलग्न मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2038 से 2057 के अनुसार गत खसरा नम्बर 30 के नवीन खसरा नम्बर 18 रकबा 3.96 हैक्टेयर बने है। संलग्न नकल भू–प्रबन्ध जमाबंदी सम्वत् 2038 से 2057 के अनुसार खसरा नम्बर 18 रकबा 3.96 हैक्टेयर भूमि नारायण पुत्र मोती के नाम खाते दर्ज है, तथा इसमें आगे कॉलम में अंकित नोट जर्ये मि.न. 616/85 फोती दिनांक 05.04.85 के अनुसार सूरजमल रामस्वरूप बलराम पि. खेमचन्द का नाम अंकित है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2057 से 2060 खसरा नम्बर 18 रकबा 3.96 हैक्टेयर भूमि सूरजमल रामस्वरूप बलराम पि. खेमचन्द के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 खसरा नम्बर 18/1(उत्तर) रकबा 0.56 हैक्टेयर रामनाथी बेवा रामलाल, चेतन प्रकाश पुत्र रामलाल, श्यामबाई पुत्री रामलाल जाति लश्करी के नाम दर्ज है। नकल जमाबंदी सम्वत 2069 से 2072 खसरा नम्बर 18(दक्षिण) की 3.40 हैक्टेयर भूमि जमनाबाई बेवा रामलाल, लाडकंवर मोहनीबाई पुत्रियां रामलाल जाति लश्करी के नाम दर्ज है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2069 से 2072 खसरा नम्बर 18/1(उत्तर) रकबा 0.56 हैक्टेयर रामनाथी बेवा

रामलाल, चेतन प्रकाश पुत्र रामलाल, श्यामबाई पुत्री रामलाल जाति लश्करी के नाम दर्ज है। संलग्न नकल भू–प्रबन्ध विभाग जमाबंदी सम्वत् 2016 से 2024 खसरा नम्बर 30 रकबा 24 बीघा 9 बिस्वा भूमि नारायण वल्द मोती कौम लश्करी के नाम खाते दर्ज है। सत्यापित प्रति नामान्तरकरण पंजिका संख्या 620 दिनांक 30.06.1957 के अनुसार खसरा नम्बर 44 रकबा 24 बीघा 9 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 135 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा किता 2 की कुल रकबा 29 बीघा 10 बिस्वा भूमि कॉलम संख्या 4 में माफी पुन्यार्थ गया गुरू पन्नालाल वल्द मोतीलाल ब्रा. कोटा गन्दी जी की पुल जैली नारान लश्करी कोटा अंकित है, इसी पर "हस्ब आज्ञा जि.कले. खा. जागीर 8.2.57 मशमूल मिसल तहसील रिज्युमशुदा जागीर माफीदार अमल खालसा तारीख 23.8.54 से किया जावे" का नोट अंकित है। जमाबंदी सम्वत् 2015 से 2018 के अनुसार उक्त भूमि पन्नालाल बेटा मोतीलाल के नाम खाते दर्ज है, तथा इसी के आगे कॉलम संख्या 5 में इ.न. 620 अंकित है तथा डिप्टी रजिस्ट्रार कोटा का माफी रिज्युम का आदेश अंकित है। संलग्न फोटोप्रति पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 18.04.1984 के अनुसार नारायण पिता मोती द्वारा अन्य सम्पत्तियों के साथ ग्राम बोरखंडी की खसरा 30 रकबा 24 बीघा 9 बिस्वा भूमि अपने तीनो पौत्र सूरजमल, रामस्वरूप, बलराम पि. खेमचन्द को संयुक्त रूप से वसीयत किया जाना अंकित किया है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के प्रकरण संख्या टी.ए. 317/20 में निर्णय दिनांक 17.01.2020 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी कोटा के द्वारा प्रकरण में निर्णय होने तक यथास्थिति का आदेश पारित किया गया। उपखण्ड अधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 05.06.2009 के विरूद्ध न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत अपील संख्या 69/09 तथा अपील संख्या 98/09 दोनों अपीलों में पारित निर्णय दिनांक 07.06.2010 संलग्न है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 के अनुसार खसरा नम्बर 18/1(उत्तरी) रकबा 0.56 हैक्टेयर भूमि तरूण चतुर्वेदी पुत्र दिलीप चतुर्वेदी के नाम खाते दर्ज है जिस पर नोट नं. 25 का आगे अंकन किया गया है। संलग्न पंजीकृत विकय–पत्र दिनांक 06.04.2022 संलग्न है। संलग्न प्रमाणित फोटोप्रति पंजीकृत विकय–पत्र दिनांक 17.06.2022 के अनुसार खसरा नम्बर 18(दक्षिण) रकबा 3.40 हैक्टेयर भूमि में से रकबा 0.85 हैक्टेयर(पश्चिमी–दक्षिणी) रास्ता गडार की तरफ वाली भूमि खातेदार सुरेश गोस्वामी पुत्र प्रेमनारायण गोस्वामी द्वारा केता महेशदत्त भारद्वाज पुत्र श्यामलाल जाति ब्राह्म्ण निवासी 4–बी जवाहर नगर कोटा को विकय की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न शपथ–पत्र डी.डब्ल्यु.–1 जमनाबाई, शपथ–पत्र डी.डब्ल्यु.–2 लाडकंवर, शपथ–पत्र डी.डब्ल्यु.–3 मोहिनीबाई, शपथ–पत्र डी.डब्ल्यु.–4 रामनाथी, शपथ–पत्र डी.डब्ल्यु.–5 चेतन प्रकाश, शपथ–पत्र डी.डब्ल्यु.–6 श्यामबाई के है। एक अन्य शपथ–पत्र डी.डब्ल्यु.–2 कुलदीप पुत्र राधेश्याम संलग्न है। उक्त शपथ–पत्रों पर दिनांक 20.02.2020 अंकित है। शपथ–पत्र पी.डब्ल्यु.–1 सुरेश गोस्वामी आत्मज प्रेमनारायण गोस्वामी संलग्न है। प्रस्तुत शपथ–पत्रों पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।

हमारे मत में यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय में हस्तगत वाद में वादी द्वारा अंकित अभिवचनों तथा प्रतिवादी जमनाबाई के पूर्व में प्रस्तुत जवाबदावे से तथा महेश गुप्ता व अन्य द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 धारा 151 सी.

पी.सी. व अन्य प्रस्तुत प्रार्थना–पत्रों से प्रकरण के काफी तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के संज्ञान मे आ चुके थे। अधीनस्थ न्यायालय मे प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व प्रतिवादी संख्या 4 से 6 ने आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के प्रार्थना–पत्र भी प्रस्तुत किए थे। तथा बाद में प्रार्थना–पत्रों को नोट–प्रेस किये जाने के प्रार्थना–पत्र भी प्रस्तुत हुए। परन्तु हमारे मत में तकनीकि रूप से अधीनस्थ न्यायालय को उसके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सी.पी.सी., प्रतिवादी संख्या 1 से 3 जरिये अधिवक्ता प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. प्रार्थना–पत्र में अंकित जाति बैरवा को डिलीट करने बाबत, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत डिप्टी कलक्टर के आदेश की पत्रावली रिकॉर्ड रूम जिला कोटा से तलब करने आदि लम्बित प्रार्थना–पत्रों पर आदेश/फाइंडिंग अंकित करनी चाहिए थी। परन्तु तकनीकी रूप से अधीनस्थ न्यायालय ने कई प्रार्थना–पत्रों का अंतिम रूप से निस्तारण नहीं किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चाहे नोट प्रेस से खारिज करने का आदेश ही किया जाता। परन्तु तकनीकी रूप से वाद में लम्बित प्रार्थना–पत्रों पर फाइंडिंग या आदेश पारित किया जाना चाहिए। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका पर प्रार्थना–पत्रों पर इस तरह के कोई स्पष्ट आदेश/फाइंडिंग अंकित नहीं है। प्रतिवादीगण के जवाबदावे से नारायण के वारिसान के मध्य माननीय राजस्व मण्डल में चल रहे प्रकरण की अधीनस्थ न्यायालय को जानकारी हो गई थी। अपीलांट अपील संख्या 2021/133 के अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 व 151 सी.पी.सी. के आदेश दिनांक 19.04.2021 में स्वयं अधीनस्थ न्यायालय ने अंकित किया है कि, "इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी पर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर का स्थगन आदेश का नोट अंकित है।" इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय को माननीय राजस्व मण्डल में दिनांक 29.06.2010 को जारी स्थगन आदेश के बारे में भी स्थिति का संज्ञान होना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता अपीलांट अपील संख्या 2021/132 का यह तर्क ध्यान देने योग्य है कि जब अधीनस्थ न्यायालय मे महेश गुप्ता वगैरह के प्रार्थना–पत्र में अंकित विक्रय को सहीं नहीं मानते हुए पक्षकार नहीं बनाया तो अधीनस्थ न्यायालय में स्थगन के दौरान प्रश्नगत निर्णय कैसे पारित किया गया ? क्या प्रश्नगत निर्णय एवं डिक्री माननीय राजस्व मण्डल के स्थगन आदेश दिनांक 29.06.2010 से प्रभावित मानी जाएगी अथवा नहीं ? इस संबंध मे अधीनस्थ न्यायालय की कोई फाइंडिंग पत्रावली या निर्णय में नहीं है। हमारे मत मे अधीनस्थ न्यायालय को यह देखना चाहिए था कि जो प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 राजीनामा कर रहे थे, वे तो प्रश्नगत भूमि का विक्रय दिनांक 01.07.2010 को ही पंजीकृत विक्रय–पत्र से महेश गुप्ता, नरेश गुप्ता, परमानन्द बोहरा को कर चुके थे। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने पहले प्रस्तुत जवाबदावे में वादी के वाद को अस्वीकार किया। पूर्व में प्रस्तुत जवाबदावे पर जमना के हस्ताक्षर अंकित है। इस जवाबदावे की विशेष आपत्तियों में बिन्दु संख्या 2 में स्वयं प्रतिवादी ने अंकित किया है कि, " प्रतिवादीगण द्वारा बहैसियत खातेदार वर्णित

आराजी खसरा नम्बर 18 रकबा 3.40 को पंजीकृत विकय–पत्र दिनांक 01.07.2010 से महेश गुप्ता, नरेश गुप्ता, व परमानन्द बोहरा को बेचान कर कब्जा प्रदान कर दिया है। जिस पर बहैसियत केता महेश गुप्ता, नरेश गुप्ता व परमानन्द बोहरा बाद खरीद से निरन्तर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है।" इसी प्रकार आदेश 7 नियम 11 धारा 151 सी.पी.सी. के प्रार्थना–पत्र के बिन्दु संख्या 7 में अंकित किया है कि, " यह कि वादी का वाद अवधि बाधित होने से चलने योग्य नहीं है। तथा प्रतिवादी द्वारा विकय–पत्र से आराजी का बेचान कर देने व केता का कब्जा होने से बिना केता को पक्षकार बनाये और विकय–पत्र को सिविल न्यायालय से निरस्त करवाये बिना वाद पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।" अतः इन कथनों से स्पष्ट है कि प्रतिवादी जमना वगैरह द्वारा पहले तो अपीलांट महेश गुप्ता, नरेश गुप्ता, परमानन्द बोहरा को भूमि विकय करना तथा अपीलांट केतागण के कब्जे–काश्त को माना गया था। परन्तु बाद में प्रतिवादीगण ने स्वीकारोक्ति का जवाबदावा प्रस्तुत किया। अतः ऐसी स्थिति में बाद में राजीनामा प्रस्तुत करना प्रतिवादीगण की मंशा पर सन्देह उत्पन्न करता है। अधीनस्थ न्यायालय को इस तथ्य को ऑब्जर्व करते हुए प्रार्थीगण अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत आदेश 1 नियम 10 व धारा 151 सी.पी.सी. के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार कर सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था। प्रतिवादीगण प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा अपीलांटगण महेश गुप्ता वगैरह के पक्ष में पंजीबद्ध विकय–पत्र वर्तमान में भी अस्तित्व में है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था। दोनो अधिवक्तागण अपीलांट्स के इस कथन से हम सहमत है कि समझौता विधिपूर्ण तथा सद्भाविक होना चाहिए। इस प्रकरण में जिन प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने राजीनामा प्रस्तुत किया वे पूर्व में दिनांक 01.07.2010 को पंजीबद्ध विकय–पत्र से भूमि का विकय कर चुके थे तथा अधीनस्थ न्यायालय में अपने पहले के जवाबदावे मे इस तथ्य को स्वीकार कर चुके थे। विकय के पश्चात प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के क्या हक अधिकार विवादित भूमि में शेष बचते है? यह विचारण का विषय है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व दस्तावेजों सहित किसी दस्तावेज को प्रदर्शित नहीं करवाया गया तथा दस्तावेजों पर कोई प्रदर्श भी अंकित नहीं है। प्रस्तुत शपथ–पत्रों पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। परन्तु यह भी तथ्य है कि चूंकि प्रतिवादीगण ने बाद में वादी से राजीनामा कर लिया तथा अन्य हितबद्ध पक्षकार को उनका पक्ष रखने का कोई अवसर ही नहीं मिला। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के सामने केवल वे ही तर्क/विधि तथा तथ्य प्रस्तुत हुए जो वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने प्रस्तुत किए। यहां यह भी एक प्रश्न है कि बिना प्रदर्श डाले तथा शपथ–पत्रों पर बिना पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर किये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजों/शपथ–पत्रों आदि को साक्ष्य मे ग्रहण करना चाहिए था या नहीं ? हालांकि इस संबंध में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का तर्क है कि बिना प्रदर्श डाले पब्लिक डॉक्युमेन्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत साक्ष्य में ग्राह्य है। परन्तु हमारे मत में इस बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय को अपनी फाइंडिंग देकर ही आगे बढ़ना चाहिए

था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 20.04.2021 में अंकित किया है कि, "उक्त वादपत्र में राजीनामा पेश हो चुका है, परन्तु न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो को अनुसरण करते हुए उक्त वादपत्र का निर्णय मेरिट पर किया जा रहा है।" हमारा मत है कि अधीनस्थ न्यायालय ने जब राजीनामा स्वीकार कर लिया तो केवल एक पक्ष वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों व कानून के आधार पर गुणावगुण पर निर्णय कैसे होगा? जहां तक न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त का प्रश्न है, गुणावगुण पर निर्णय आवश्यक हितबद्ध पक्षकारों व तथ्यों के सामने आने पर ही सभी पक्षों के विवेचन के पश्चात ही किया जा सकता है। यह स्वीकृत तथ्य है कि अपील संख्या 2021/132 के अपीलांटगण सूरजमल वगैरह नारायण के वंशवृक्ष से है। अधीनस्थ न्यायालय मे प्रतिवादीगण भी नारायण के वारिस है। जब अधीनस्थ न्यायालय के यह संज्ञान मे आ गया था कि नारायण के वारिसान के मध्य पूर्व से ही प्रश्नगत भूमि को लेकर वाद रहा है तथा जिस निर्णय के आधार पर प्रतिवादीगण का नाम राजस्व जमाबंदी मे आया, वह निर्णय अभी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर व अपीलीय न्यायालयों मे विचाराधीन है तो ऐसी स्थिति में केवल नारायण के कुछ वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 की स्वीकारोक्ति को कैसे अंतिम माना जा सकता है? हमारे मत में अपील संख्या 2021/132 के अपीलांटगण सूरजमल वगैरह नारायण के वारिसान है, अतः नारायण से संबंधित किसी भूमि का अंतिम निर्णय करते समय नारायण के वारिसान को तो सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए। यह भी तथ्य है कि अपील संख्या 2021/132 के अपीलांटगण नारायण के वारिसान सूरजमल वगैरह का नाम भी लम्बे समय तक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अंकित रहा है। हमारे मत में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर हस्तगत प्रकरण में हितबद्ध होने के कारण अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर मिलना चाहिए। उभयपक्ष के अधिवक्तागण ने राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्गृहण अधिनियम 1952 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की व्याख्या कर प्रश्नगत भूमि का स्वयं खातेदार होने का क्लेम किया है। हमारे समक्ष अधीनस्थ न्यायालय में तथा दोनो अपीलों के साथ प्रकरण से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड संलग्न है। प्रकरण से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड की व्याख्या उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण ने स्वयं के अनुसार अलग–अलग की है। हमारे मत में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड का राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्गृहण अधिनियम 1952 के प्रावधानों तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों तथा अन्य महत्वपूर्ण सम्बंधित अधिनियमों के प्रकाश में पक्षकारों को समुचित साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देकर ही व्याख्या कर किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। सर्वप्रथम तो यह निर्धारित किया जाना उचित होगा कि वादीगण के राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्गृहण अधिनियम 1952 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रश्नगत भूमि पर क्या हक अधिकार है? हस्तगत प्रकरण में क्या नारायण जैली काश्तकार के रूप में सब–टिनैन्ट था अथवा नहीं था? जैली की परिभाषा और उसके अधिकारों को लेकर भी अधिवक्ता उभय पक्षकारान ने अपने–अपने तर्क व विधि की व्याख्या की है। प्रस्तुत प्रकरण

में प्रतिवादीगण का पूर्वज नारायण जैली था या नहीं तथा यदि उसे जैली माना भी जाए तो जैली को सब–टिनैन्ट माना जाए या नहीं माना जाए? जैली को यदि सब–टिनैन्ट माना जाए तो उसके हक अधिकार क्या होंगे? हमारे मत में हस्तगत प्रकरण में उक्त गंभीर अन्तर्निहित प्रश्नों का पक्षकारों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर ही अंतिम रूप से निस्तारण किया जा सकता है। राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्गृहण अधिनियम 1952 के प्रावधानों के अनुसार जमाबंदी सम्वत् 2015 से 2018 में अंकित नोट डिप्टी रजिस्ट्रार जागीर कोटा की आज्ञा दिनांक 08.02.1954 का हस्तगत प्रकरण में क्या प्रभाव है? हालांकि यहां यह महत्वपूर्ण है कि डिप्टी रजिस्ट्रार जागीर कोटा का इस संबंध में कोई लिखित आदेश अथवा मिसल हमारे समक्ष नहीं है। तथा इस तरह का कोई आदेश एवं मिसल है अथवा नहीं यह इस स्टेज पर हमारे समक्ष स्पष्ट नहीं है। केवल इस संबंध मे राजस्व रिकॉर्ड पर अंकित नोट से किसी अंतिम नतीजे पर पहुंचना संभव नहीं है। हमारे मत में उक्त सभी बिन्दु पक्षकारों को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर ही निर्धारित किये जा सकते है। विद्वान अधिवक्तागण अपीलांट(2021/132) का यह भी कथन है कि विकय–पत्र दिनांक 01.07.2010 में प्रतिवादीगण विकेता की जाति अनुसूचित जाति है तथा केतागण सामान्य जाति से सम्बंधित है अतः जमनाबाई वगैरह द्वारा दिनांक 01.07.2010 को महेश गुप्ता, नरेश गुप्ता, परमानन्द बोहरा के पक्ष में किया गया हस्तान्तरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 से प्रभावित है तथा इसका उल्लंघन है तथा यह विकय–पत्र गैर कानूनी है। हमारे मत में बिना पर्याप्त साक्ष्यों के इस स्टेज पर इस संबंध में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना या फाइंडिंग दिया जाना उचित नहीं है। अतः अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना उचित प्रतीत होता है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रश्नगत भूमि को लेकर भी अपील विचाराधीन है। हालांकि वादी रेस्पोडेन्ट का कथन है कि वे माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में लम्बित अपील आदि से प्रभावित नहीं है तथा उक्त अपीलें नारायण के वारिसान के मध्य विवाद के कारण प्रस्तुत हुई है। हमारे मत में माननीय राजस्व मण्डल में लम्बित प्रकरण तथा उसमें संयोजित पक्षकारों तथा माननीय राजस्व मण्डल के स्थगन आदेश का क्या प्रभाव होगा, इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल में लम्बित प्रकरणों की अद्यतन स्थिति जानकर तथा संबंधित पक्षकारों को सुनकर ही अंतिम निर्णय पारित किया जा सकता है। क्या सैटलमेंट विभाग को नारायण का नाम जमाबंदी सम्वत् 2016 से 2024 में अंकित करने का अधिकार था? इस बिन्दु को भी तय करने से पूर्व आवश्यक एवं हितबद्ध पक्षकारों को सुना जाना आवश्यक प्रतीत होता है। क्योंकि नारायण की प्रश्नगत भूमि के संबंध में जो स्थिति निर्धारित होती है उससे नारायण के समस्त वारिसान तथा प्रश्नगत भूमि के केतागण भी प्रभावित होते है। ऐसी स्थिति में अपीलांटगण नारायण के वारिसान तथा केतागण को भी सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर मिलना चाहिए। न्यायालय हाजा में भी बाद में भूमि के केतागण श्री तरूण चतुर्वेदी तथा श्री महेश दत्त भारद्वाज की ओर से प्रस्तुत आदेश 1 नियम 10 के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया गया क्योंकि वे भी पंजीबद्ध विकय–पत्र से प्रश्नगत भूमि में

से भूमि क्रय करने के पश्चात हस्तगत प्रकरणों में निर्णय से प्रभावित होते है। यहां यह भी महत्वपूर्ण है कि प्रश्नगत भूमि के मौके पर कब्जे–काश्त को लेकर भी अपीलांटगण एवं रेस्पोडेन्टगण के अलग–अलग कथन एवं क्लेम रहे है। अतः यह बिन्दु भी पक्षकारों को सुनवाई व साक्ष्य के आधार पर ही तय किया जा सकता है। क्या प्रतिवादीगण अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत पहले जवाबदावे में अपने अंकित कथनों से बाद में पलट सकते है? क्या अधीनस्थ न्यायालय मे प्रतिवादीगण प्रश्नगत राजीनामा करने हेतु विधिक रूप से सक्षम थे? ऐसी स्थिति में हमारे विनम्र मत में अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट्स अपील संख्या 2022/274 के अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 व धारा 151 सी.पी.सी. को स्वीकार कर सुनवाई का अवसर देना चाहिए। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 4 ने अपीलांटगण सूरजमल वगैरह के पक्ष में हुई वसीयत दिनांक 18.04.1984 पर भी प्रश्नचिन्ह लगाया है। जबकि अपीलांट्स सूरजमल वगैरह उक्त वसीयत को विधिक रूप से सही मानते है। पूर्व में भी नारायण के वारिसान के मध्य न्यायालय में प्रश्नगत वसीयत को लेकर विवाद रहा है। हमारे मत में इस स्टेज पर इस संबंध में किसी अन्तिम निष्कर्ष अथवा फाइंडिंग पर नहीं पहुंचा जा सकता। इसके लिये रेस्पोडेन्टगण सहित पक्षकारों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाना आवश्यक है। अधिवक्ता अपीलांट अपील संख्या 2022/274 ने माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत (2016) 1 सुप्रीम कोर्ट केसेज पेज 411 को उद्धृत करते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट कम 1 वादी द्वारा प्राप्त डिक्री प्रारम्भ से ही शून्य है क्योंकि यह डिक्री फ्रॉड से प्राप्त की गई है तथा इस विवादित डिक्री के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में खोला गया नामान्तरकरण प्रारम्भ से ही शून्य है इस कारण से धारा 144 सी.पी.सी. के प्रावधानों के तहत प्रश्नगत भूमि का नामान्तरकरण पंजीबद्ध विक्रय–पत्र के आधार पर अपीलांट के पक्ष में खोला जाए। हमारे मत में जहां तक धारा 144 सी.पी.सी. के सम्बंध मे अधिवक्ता अपीलांट अपील संख्या (2022/274) का कथन है तो यह स्पष्ट है कि धारा 144 सी.पी.सी. के तहत स्वयं न्यायालयों को प्रत्यास्थापना(restitution) के आदेश देने का अधिकार है तथा प्रकरणों में समता(equity), फेयरनैस व न्यायहित के प्रकाश में आदेश दिए जा सकते है। हमारे मत में राजस्व कार्मिक समय–समय पर न्यायिक निर्णयों एवं डिक्री तथा अन्य किसी प्रकार के विधिक अन्तरण के प्रकाश में राजस्व रिकॉर्ड को नियमानुसार स्वयं अद्यतन रखने का प्रयास करते है तथा राजस्व कार्मिकों को राजस्व रिकॉर्ड नियमानुसार अद्यतन रखना भी चाहिए।

उपर्युक्त विवेचन एंव हमारे समक्ष प्रस्तुत विभिन्न तथ्यों एवं विधि के प्रश्नों से स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में विधि एवं तथ्य के कई गम्भीर प्रश्न अन्तर्निहित है। इन गम्भीर प्रश्नों का निस्तारण अपीलांगण सहित पक्षकारों को सुनवाई एवं दस्तावेज आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर ही अंतिम रूप से निस्तारित किया जा सकता है। हमारे मत में इस प्रकार के जटिल प्रकरणों में प्रथम दृष्ट्या हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिया जाना चाहिए ताकि वाद बहुलता नहीं बढ़े तथा

प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण हो सके। इस प्रकार के जटिल प्रकरण में यदि हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाता है तो वाद बहुलता भी बढ़ती है तथा अपीलीय न्यायालयों में प्रकरणों की संख्या बढ़ती है तथा मूलवाद एवं विषय–वस्तु के अंतिम रूप से निस्तारण में भी अनावश्यक विलम्ब होता है। हम अधिवक्ता अपीलांट के नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के सम्बंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के सम्बंध मे प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों 2007 सी.डी.आर. 1(एस.सी.) तथा आर.एल. डब्ल्यु. 2003(4) एस.सी. पेज 509 के प्रकाश में हस्तगत दोनों अपीलों में अपीलांटगण को सुनवाई एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाना उचित एवं आवश्यक समझते है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.04.2021 विधि सम्मत नहीं होने से खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। तथा अपीलांटगण को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

25. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत दोनो अपीलें, अपील संख्या 2021/132 एवं अपील संख्या 2021/133 (नवीन नम्बर 2022/274) आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.04.2021 खारिज किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उक्त दोनो अपीलों के अपीलांटगण को प्रकरण में प्रतिवादीगण के रूप में पक्षकार कायम करते हुए तथा उन्हे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर विधि सम्मत रूप से नवीन निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 18.08.2023 को उपस्थित रहे।

26. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

27. निर्णय आज दिनांक 26.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा